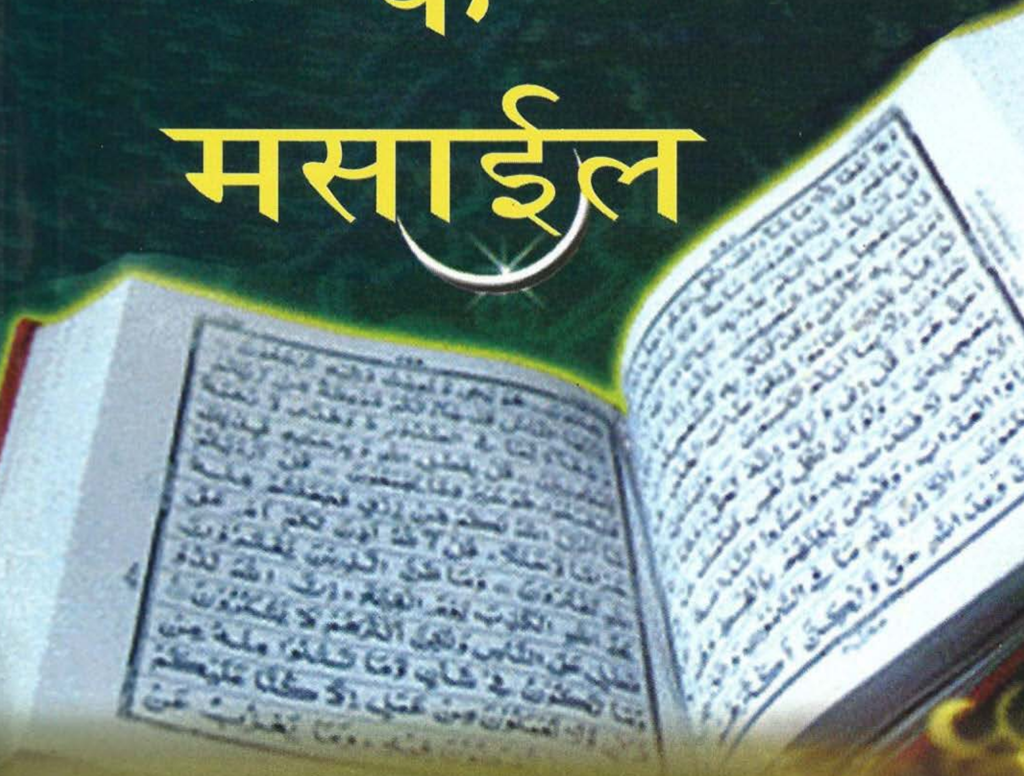
रोज़ों के मसाईल



लेखक

मुहम्मद इकबाल कीलानी

अल किताब इंटरनेशनल
मुरादी रोड बटला हाउस जामिया नगर
नई दिल्ली-25

रोज़ों के मसाइल

लेखक
मुहम्मद इक़बाल कीलानी

अल किताब इंटरनेशनल
मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,
नई दिल्ली-25

पुस्तक का नाम : रोज़ों के मसाइल

लेखक : मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशन वर्ष : 2008

मूल्य : 30/- (तीस रुपये)

प्रकाशक : **अल-किताब इन्टर नेशनल**
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025

मिलने का पता : **S. N. PUBLISHERS**
P. O. BOX NO. 9728
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-110025

विषय सूची

या इलाहुल आलमीन!

तेरा एक विवश और ख़ताकार बन्दा अपने मां बाप, रिश्तेदारों और निष्ठावान दोस्तों की तरफ़ से यह नज़राना अक़ीदत तेरे सामने इस उम्मीद पर पेश करता है कि हर मुसलमान की ज़बान क़ालल्लाहु व क़ालर्रसूलू सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शब्दों से आशना हो जाए।

"ऐ अल्लाह इसे क़ुबूल फ़रमा"

लेखक

प्रकाशक की ओर से

रोज़ा इस्लाम के पांच बुनियादी अरकान में से एक रुक्न है जो हर मुसलमान पर हर साल पूरे रमज़ान के महीने में रखने फ़र्ज़ हैं, "रोज़ों के मसाइल" में रोज़े की अनिवार्यता, महत्व, श्रेष्ठता आदि तमाम छोटे बड़े मसले किताब व सुन्नत की रौशनी में तर्तीब दिए गए हैं।

किताब के लेखक जमाअत के मशहूर विद्वान मोहतरम मौलाना मुहम्मद इक़्बाल कीलानी साहब हैं, आप इल्मी घराने के चश्म व चिराग़ हैं, आपने "तफ़्हीमुस्सुन्नह" के नाम से दीन के बुनियादी पांच अरकान और अन्य अहकाम व मसाइल पर निहायत मुफ़ीद और आम फ़हम किताबें लिखी हैं। तफ़्हीमुस्सुन्नह का यह सिलसिला अवाम व ख़ास में मक़्बूलियत हासिल कर चुका है। मौलाना मुहम्मद इक़बाल कीलानी साहब की किताबों में बहुत सी विशेषताएं हैं, जिनमें क़ाबिले ज़िक्र और अहम यह हैं कि हर किताब, किताब व सुन्नत से सजी धजी, साफ़ सुथरी सादा भाषा और सकारात्मक शैली के साथ मुनाज़िराती रंग से पाक है।

तफ़्हीमुस्सुन्नह के सिलसिले की यह नवीं किताब "रोज़ों के मसाइल" आपके हाथों में है हमें पूरा यक़ीन है कि इसके अध्ययन से आपको रोज़ों के मसाइल की मारफ़त हासिल होगी इंशाअल्लाह। "दारुल कुतुब इस्लामिया दिल्ली" में हमारे "शरीके कार" बिरादरम मोहतरम जनाब मुहम्मद आक़िल साहब (मुक़ीम जद्दा) ने बताया कि मोहतरम मौलाना मुहम्मद इक़बाल कीलानी साहब ने हमें तफ़्हीमुस्सुन्नह के मुकम्मल सैट को हिन्दी में प्रकाशित करने की इजाज़त दी है, इसलिए हमने इस अहम इल्मी व दीनी सिलसिले की इशाअत का आयोजन किया है। हम मौलाना मुहम्मद इक़बाल कीलानी साहब के बेहद आभारी हैं कि उन्होंने अपनी किताबों को हिन्दी में प्रकाशित करने की इजाज़त दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सवाब से नवाज़े और मुसलमानों को इन किताबों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने का सौभाग्य प्रदान करे।

प्रकाशक

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من اطاعني دخل الجنة

(رواه البخاري)

❁❁❁

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :

"जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाख़िल होगा।"

(इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

أَمَّا بَعْدُ:

रमज़ान नुज़ूले क़ुरआन का महीना, अल्लाह तआला की ख़ास रहमतों और बरक़तों का महीना, सब्र का महीना, फ़राख़ी रिज़्क की कुशादगी का महीना, एक दूसरे से भला चाहने का महीना, जन्नत में दाख़िल होने और जहन्नम से आज़ादी हासिल करने का महीना। रमज़ान सारी दुनिया के मुसलमानों के ज़िक्र व फ़िक्र, तस्बीह व तहलील, तिलावत व नवाफ़िल, सदक़ा व ख़ैरात अर्थात हर क़िस्म की इबादत का एक विश्व व्यापी मौसमे बहार, जिससे दुनिया का हर मुसलमान अपने-अपने ईमान और तक़्वा से संबन्धित हिस्सा पाकर दिल को सुख और आंखों को ठंडक हासिल करता है। इबादत के इस मौसमे बहार को जिसे ठीक-ठीक देखना हो वह इस महीने के बरकतों वाले दिन रात में विनय व गौरव वाले घर बैतुल्लाह शरीफ़ में जाकर देखे, जहां दिन के समयों में ज़िक्र व फ़िक्र की महफ़िलें, तिलावते क़ुरआन की मजालिस, अहकाम व मसाइल के हल्क़े, तवाफ़ करने वालों की भीड़ और रात के समयों में तरावीह के रूह को तड़पा देने और ईमान को मज़बूत करने वाले मनाज़िर किस तरह गुनाहगार से गुनाहगार इन्सान के दिल में भी शौक़े इबादत पैदा कर देते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी हिस्से (21 से 30 रमज़ान तक) में हरम शरीफ़ में हाज़िरी से रौनक़ें दो गुनी हो जाती हैं ज़रा कल्पना कीजिए मताफ़ (बैतुल्लाह शरीफ़ के आस पास तवाफ़ करने की जगह) मुख़्तसर सा हिस्सा छोड़कर बाक़ी सारा मताफ़, मस्जिदे हराम के तमाम विस्तृत व चौड़े बरामदे, पहली मंज़िल और उसके ऊपर छत तमाम जगहें खचाखच भरी हुई हैं। कहीं भी तिल धरने को भी जगह नहीं, आधी रात के शान्तिमय और ख़ामोश क्षण। सामने सियाह रेशमी गिलाफ़ में ढकी हुई बैतुल्लाह की बुलन्दी पर विशाल इमारत, और खुला आसमान और माहौल की विस्तृत, आसमाने दुनिया पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलवा फ़रमा होने की कल्पना। अनवार व तजल्लियात के इस

रूहानी माहौल में इमामे हरम तिलावते क़ुरआन पाक करते है तो यूं लगता है कि जैसे क़ुरआन अभी-अभी नाज़िल हो रहा है। इमाम काबा की दर्दभरी आवाज़ गूंजती है। तो यूं लगता है जैसे माहौल को चीरती हुई सीधी अर्शे इलाही पर दस्तक दे रही है।

﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾ ﴾

“ऐ हमारे रब! हम पर वह बोझ न डाल जिसको उठाने की हमारे अन्दर ताक़त नहीं। हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा, हमसे दरगुज़र कर, हम पर दया फ़रमा, तू ही हमारा स्वामी है, काफ़िरों के मुक़ाबले में हमारी मदद फ़रमा।”

﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾ ﴾

“ऐ हमारे रब! अपने रसूलों के ज़रिए, जिन इनामों का तूने हमसे वायदा किया है हमें वे इनाम प्रदान फ़रमा और क़यामत के दिन हमें लज्जित न कर बेशक तू अपने वायदे का उल्लंघन नहीं करता।”

اللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ

ऐ अल्लाह! तू हमें अपनी तरफ़ से इतना डर प्रदान कर जिससे तू हमारे और गुनाहों के बीच रोक हो जाए।

ख़त्म क़ुरआन के अवसर पर ख़ास दुआओं के लिए इमामे हरम जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर खड़े होते हैं, तो सारा हरम आहों और सिसकियों में डूब जाता है। इमाम हरम की विनय व विनम्रता से भरी आंसुओं में भीगी हुई आवाज़ रुक रुककर सुनाई देती है।

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَاتَرُدَّنَا خَائِبِيْنَ

“ऐ अल्लाह! हमारे पालनहार हमें नाकाम व नामुराद वापस न लौटा।”

फिर इसी हालत में अपने लिए और अपने घर वालों के लिए दुआएं, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआएं, मुजाहिदीन इस्लाम के लिए

दुआएं, मुस्लिम मुल्क के शासकों के लिए दुआएं, मुस्लिम नव जवानों के लिए दुआएं, इस्लाम की सरबुलन्दी के लिए दुआएं, ज़िन्दा व मृत तमाम मुसलमानों की माफ़ी और बख़्शिश की दुआएं मांगी जाती हैं। जी चाहता है कि काश ये अनमोल घड़ियां और मुबारक क्षण लम्बे से लम्बे हो जाएं। ये क्षण जो बहुमूल्य दौलत हैं कौन जाने किस भाग्यवान को दोबारा हासिल हों। दिल गवाही देता है कि अल्लाह करीम की रहमान और रहीम ज़ात अपने अज़ीज़ मुहताज और फटे हाल बन्दों को बड़ी मुहब्बत और फ़ज़्ल व करम की नज़रों से देख रही है। ख़ालिक़ व मख़लूक़ में कोई पर्दा रोक नहीं और ख़ालिक़ अपनी मख़लूक़ के फैलाए हुए दामन और उठाए हुए हाथों को कभी भी ख़ाली वापस नहीं लौटाएगा। उपासना व साधना की यह चाहत व लगन और ईमान व विश्वास की ये हालतें इबादत के इसी मौसम बहार से संबंध रखती हैं।

इबादत के इस सारे आयोजन का उद्देश्य और मक़सद क्या है? अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में स्वयं इसका स्पष्टीकरण फ़रमा दिया है "ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! तुम पर रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तक़ी (गुनाहों से बचने वाले) बनो।" (2 : 183) रसूले अकरम सल्ल० ने भी रोज़े का मक़सद बयान करते हुए फ़रमाया, रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। रोज़ेदार अशलील बातें और कोई बेहूदा काम न करे अगर कोई व्यक्ति गाली गलौंच और लड़ाई झगड़े पर उतर जाए तो केवल इतना कह दे "मैं रोज़े से हूं।" (बुख़ारी शरीफ़) बिला शुबह नेकी करना बड़े अज्र व सवाब का कारण है, लेकिन नेकी करने के साथ साथ बुराई से बचना इससे भी ज़्यादा अहम मालूम होता है जिसका स्पष्टीकरण मुस्लिम शरीफ़ की इस हदीस से होता है जिसमें रसूले अकरम सल्ल० ने सहाबा किराम रज़ि० से मालूम किया "जानते हो निर्धन कौन है?" सहाबा किराम रज़ि० ने अर्ज़ किया जिसके पास दिरहम व दीनार न हो' वह निर्धन है। आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया "मेरी उम्मत का निर्धन वह है जो क़यामत के रोज़ नमाज़, रोज़ा और ज़कात जैसे कर्म लेकर आएगा लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को क़त्ल किया होगा अतएव उसकी

नेकियां मज़लूमों में बांट दी जाएंगी। यदि नेकियां ख़त्म हो गईं तो मज़लूमों के गुनाह उसके कर्म पत्र में डालने शुरू कर दिए जाएंगे, यहां तक कि उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा।'' इस हदीस पाक से यह अन्दाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि बुराइयां चाहे छोटी हों या बड़ी, उनसे बचना कितना ज़रूरी है रमज़ानुल मुबारक का महीना इस दृष्टि से बड़े महत्व वाला है कि इसका उद्देश्य ही गुनाहों से बचने की तर्बियत करना है इस उद्देश्य की प्राप्ती के लिए शयातीन को बन्द कर दिया जाता है ताकि जो व्यक्ति गुनाहों से रुकना और बचना चाहता हो उसे कोई रुकावट महसूस न हो। बात यह है कि रहमतों और बरकतों के इस पवित्र महीने में थोड़ी सी कोशिश और इरादा करने से हर आदमी की तबीयत नेकी की तरफ़ झुक और गुनाहों से बचने पर तैयार हो जाती है। तो जिसने महीने भर दिन के समयों में खाना छोड़ने के साथ-साथ अल्लाह के सामने अपने पिछले गुनाहों पर नादिम होकर सच्चे दिल के साथ तौबा की और आगे के लिए हर क़िस्म के गुनाहों से बचने का पक्का इरादा कर लिया उसने मानो रोज़े के उद्देश्य को हासिल कर लिया और रमज़ान की बरकतों से भरपूर हिस्सा पा लिया।

इस किताब में हमने रोज़े के वह मसाइल जमा किए हैं जो सही हदीसों से साबित हैं। पहले प्रकाशन में कुछ दोस्तों ने कुछ अहादीस की तरफ़ ध्यान दिलाया, जो ज़ईफ़ थीं, मौजूदा एडीशन से उन्हें निकाल दिया गया है। अब वे तमाम अहादीस हसन या सहीह दर्जे की हैं। इन्शा अल्लाह मसाइल के हिसाब से पहले एडीशन में कमी महसूस की गई थी, अतः मौजूदा एडीशन में बहुत से ज़रूरी मसाइल की वृद्धि कर दी गई। अमल करने वालों की तरफ़ से किसी भी छोटी या बड़ी ग़लती की निशानदेही पर हम उनके दिल की गहराई से शुक्र गुज़ार होंगे।

किताब के आख़िर में रोज़ों के बारे में कुछ ज़ईफ़ या मौज़ूअ (मनगढ़त) अहादीस भी दी गई हैं यद्यपि ऐसी तमाम अहादीस तर्ग़ीब (नेक कामों की रग़बत दिलाना) या तर्हीब (किसी गुनाह के अंजाम से डराना) के बारे में हैं, लेकिन हक़ीक़त यह है कि किसी भी अमल की वह श्रेष्ठता, जो रसूले अकरम सल्ल० से साबित न हो, चाहे वह कितनी ही तर्ग़ीब दिलाने वाली क्यों न हो इसी तरह वह डरावा, जो रसूले अकरम सल्ल० से साबित न हो, चाहे वह

कितना ही गुनाह से रोकने और डराने वाला क्यों न हो, दीन का हिस्सा नहीं बन सकता।

हर अमल की तर्ग़ीब या तर्हीब के बारे में रसूले अकरम सल्ल० के अपने इरशादात मौजूद हैं उन पर किसी क़िस्म की वृद्धि करना अल्लाह तआला के हुक्म : "मुसलमानों अल्लाह और उसके रसूले सल्ल० से आगे न बढ़ो।" (सूरह हुजुरात : आयत 1) की अवज्ञा में ही आएगा। अतः जिस हदीस के बारे में स्पष्ट हो जाए कि वह ज़ईफ़ मौज़ूअ है चाहे अर्थों के हिसाब से वह हदीस सहीह हदीसों के निकट ही क्यों न हो, उसे बयान नहीं करना चाहिए।

हमारी इस सारी मेहनत और काविश का उद्देश्य केवल यह है कि आम लोगों में प्रत्यक्ष में हदीस शरीफ़ पढ़ने और जानने का शौक़ पैदा हो और मात्र सुनी सुनाई या बिना हवाले पढ़ी हुई बातों पर अमल करने की बजाए हदीसे रसूल सल्ल० को अपने अमल की बुनियाद बनाने की सोच और फ़िक्र आम हो। तमाम मुसलमानों के नज़दीक दीन केवल और केवल वही है जिसका अल्लाह तआला या उसके रसूले सल्ल० ने हुक्म दिया या जिसे स्वयं रसूले अकरम सल्ल० ने करके दिखाया है जिसे करने की इजाज़त दी है उसी बुनियादी उसूल को सामने रखते हुए हमने दीनी मसाइल अहादीस सहीहा के हवाले से ख़ूबसूरत और सादा अन्दाज़ में प्रकाशित करने का फ़ैसला किया है। "किताबुस्सियाम" इस सिलसिले की पहली कोशिश थी जो 1405 हिजरी में क़ुरआन उतरने के मुबारक महीने में ही पहली बार छपी। इस भले काम में शुरू से लेकर आख़िर तक जिन-जिन लोगों ने सहयोग किया है, हम उनके दिल से शुक्रगुज़ार हैं।

हम अपने मालिके हक़ीक़ी के आगे अपना सर झुकाते हैं कि उसने हमारी कमज़ोरियों के बावजूद "इस किताब" को छापने का सौभाग्य प्रदान फ़रमाया अगर उसकी कृपा और सौभाग्य व इनायत साथ न होती तो यह किताब तैयार न हो पाती।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

मुहम्मद इक़बाल कीलानी

فَرْضِيَّةُ الصِّيَامِ

रोज़े की अनिवार्यता

मसला 1. रोज़ा इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ में से एक फर्ज़ है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْإِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है–

1. कलिमा शहादत, 2. नमाज़ क़ायम करना, 3. ज़कात अदा करना, 4. हज, 5. रमज़ान के रोज़े रखना। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللّٰهَ لَاتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَاأَزِيدُ عَلَى هٰذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि एक आराबी नबी अकरम सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया "मुझे ऐसा अमल बताइए जिसके करने से मैं जन्नत में दाख़िल हो जाऊं।" आप सल्ल० ने फ़रमाया अल्लाह तआला की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न कर, फ़र्ज़ नमाज़ क़ायम कर, फ़र्ज़ ज़कात अदा कर और रमज़ानुल मुबारक़ के रोज़े रख।" उसने कहा "अल्लाह की क़सम! मैं इससे ज़्यादा कुछ न करूंगा।" जब वह आदमी वापस हुआ, तो आप सल्ल० ने फ़रमाया "जिसे जन्नती आदमी देखना हो, वह इसे देख ले।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 9।
2. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी लिल ज़ुबैदी, हदीस 704।

فَضْلُ الصَّوْمِ

रोज़े की श्रेष्ठता

मसला 2. रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَ سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जब रमज़ान आता है, तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं और शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 3. रमज़ान में उमरा का सवाब हज के बराबर मिलता है।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُنَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَنَسِيْتُ اسْمَهَا: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُوْ وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अता कहते हैं मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से सुना कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने अन्सार की एक औरत (उम्मे सनान) से फ़रमाया हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने उस औरत का नाम भी लिया मगर मैं भूल गया हूं "तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलते?" औरत ने अर्ज़ किया" हमारे पास केवल दो ऊंट थे एक पर मेरा पति और बेटा दोनों हज के लिए गए हैं अब एक घर में है जिस पर हम पानी आदि लाते हैं।" रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "अच्छा जब रमज़ान आए' तो

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 652।

उमरा कर लेना इसका सवाब भी हज के बराबर है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 4. रोज़ा क़यामत के दिन रोज़ेदार की सिफ़ारिश करेगा।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया "रोज़ा और क़ुरआन क़यामत के दिन बन्दे के लिए सिफ़ारिश करेंगे" रोज़ा कहेगा "ऐ मेरे रब! मैंने इस बन्दे को खाने पीने और अपनी इच्छा (पूरी करने) से रोके रखा, अतः इसके बारे में मेरी सिफ़ारिश क़ुबूल फ़रमा।" क़ुरआन कहेगा "ऐ मेरे रब! मैंने इस बन्दे को रात (क़याम के लिए) सोने से रोके रखा, अतः इसके बारे में मेरी सिफ़ारिश क़ुबूल फ़रमा।" अतएव दोनों की सिफ़ारिश क़ुबूल की जाएगी। इसे अहमद और तबरानी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 5. रोज़े का अज्र अनगिनत है।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِىْ وَ أَنَا أَجْزِىْ بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَ إِذَا لَقِىَ رَبَّهُ، فَرِحَ بِصَوْمِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "अल्लाह तआला फ़रमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका इनाम दूंगा और रोज़ा

1. किताबुल हज अध्याय फ़ज़्ल उमरा फ़ी रमज़ान।
2. सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 973।

(आग से) ढाल है अतः जिस दिन तुममें से किसी का रोज़ा हो अश्लील बातें न करे और बद कलामी न करे और अगर कोई दूसरा उससे गाली गलौंच करे या लड़ाई करे तो रोज़ेदार को (केवल इतना कहना चाहिए कि) मैं रोज़ेदार हूं। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है रोज़ेदार के मुंह की ख़ुशबू क़यामत के दिन अल्लाह तआला को मुश्क की ख़ुशबू से भी ज़्यादा पसन्दीदा होगी। रोज़ेदार के लिए दो ख़ुशियां हैं जिनसे वह सुख वैभव हासिल करेगा। एक, जब वह रोज़ा इफ़्तार करता है तो ख़ुश होता है। दूसरा, जब वह अपने रब से मिलेगा और रोज़े के बदले में अपने रब से इनाम पाएगा, तो ख़ुश होगा।'' इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 6. रोज़ेदारों के लिए जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा बनाया गया है जिसका नाम ''रियान'' है।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत सहल बिन साअद रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया ''जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम ''रियान'' है जिससे क़यामत के दिन रोज़ेदार गुज़रेंगे। उनके अलावा इस दरवाज़े से कोई दूसरा नहीं गुज़रेगा।'' इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 7. रमज़ान के पूरे महीने हर रात अल्लाह तआला लोगों को जहन्नम से निजात दिलाता है।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَ مَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَ نَادَى مُنَادٍ : يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ . وَ يَا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ . وَ لِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ . وَ ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 579।
2. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 708।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "रमज़ान की पहली रात ही शयातीन और सरकश जिन्न बांध दिए जाते हैं जहन्नम के सारे दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं उनमें से कोई एक दरवाज़ा भी खुला नहीं रहने दिया जाता और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते है उनमें से कोई एक दरवाज़ा भी बन्द नहीं रहने दिया जाता और एक मुनादी करने वाला (फ़रिश्ता) ऐलान करता है "ऐ भलाई के चाहने वाले! रुक जा और (रमज़ान की) हर रात अल्लाह तआला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इसे इब्ने माजिद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 8. हर रोज़ इफ़्तार के समय भी अल्लाह तआला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं।

عَنْ جابرٍ رضی اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ وَ ذٰلِكَ فِی كُلِّ لَيْلَةٍ . رواهُ ابْنُ مَاجَة (صحيح)

हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "अल्लाह तआला हर दिन इफ़्तार के समय लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 9. रमज़ान में सियाम और क़याम करने वाला क़यामत के दिन सिद्दीक़ीन और शोहदा के साथ होगा।

عَنْ عمْرو بْنِ مَرَّةَ الْجُهْنِیِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِیِّ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ ، وَ صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَ أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ ، وَ صُمْتُ رَمَضَانَ ، وَ قُمْتُهُ ، فَمِمَّنْ أَنَا ؟ قَالَ: مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ . رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَ ابْنُ مَاجَة وَ ابْنُ حِبَّانَ (صحيح)

हज़रत अम्र बिन मर्रा जुहनी रज़ि० से रिवायत है कि एक आदमी नबी अकरम सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह!

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1331।
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1332।

अगर मैं गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, आप अल्लाह के रसूल हैं, पांचों नमाज़ें पढ़ूं, ज़कात अदा करूं और रमज़ान में सियाम और क़ियाम करूं, तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा?'' आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया ''सिद्दीक़ीन और शोहदा में।'' इसे बज़्ज़ार इब्ने माजा, इब्ने हिबान ने रिवायत किया है।[1]

1. सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 993।

أَهَمِّيَّةُ الصَّوْمِ

रोज़े का महत्व

मसला 10. रमज़ान की बरकतों से महरूम रहने वाले भाग्यहीन हैं।

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ كُلُّ مَحْرُوْمٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. (حسن)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया ‘‘यह महीना जो तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो (दर्जों व सम्मान के हिसाब से) हज़ार महीनों से बेहतर है, जो व्यक्ति इस (सौभाग्य हासिल करने से) से महरूम रहा वह हर भलाई से महरूम रहा’’ और फ़रमाया ‘‘लैलतुल क़द्र के सौभाग्य से केवल भाग्यहीन ही महरूम किया जाता है।’’ इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 11. रमज़ान पाने के बावजूद मग़फ़िरत हासिल न कर सकने वाले के लिए हलाकत है।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أُحْضُرُوْا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: (آمِيْنَ) فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: (آمِيْنَ) فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: (آمِيْنَ) فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ عَرَضَ لِي فَقَالَ بُعْدًا مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ (آمِيْنَ) فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بُعْدًا مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ (آمِيْنَ) فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بُعْدًا مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ (آمِيْنَ)» رَوَاهُ الْحَاكِمُ (صحيح)

हज़रत काअ़ब बिन उजरह रज़ि० फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने सहाबा किराम रज़ि० से फ़रमाया ‘‘मिंबर लाओ।’’ हम मिंबर ले आए जब

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1333।

नबी करीम सल्ल० पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फ़रमाया "आमीन" फिर जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फ़रमाया "आमीन" इसी तरह जब आप तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फ़रमाया "आमीन"। जब रसूलुल्लाह मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए' तो हमने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो इससे पहले कभी नहीं सुनी।" आप सल्ल० ने फ़रमाया "जनाब जिब्रील मेरे पास आए और कहा "उस आदमी के लिए हलाकत है जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख़्शिश और माफ़ी हासिल न कर सका। इसके जवाब में मैंने आमीन कही। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब जिब्रील ने कहा "हलाकत है उस आदमी के लिए जिसके सामने आप सल्ल० का ज़िक्र किया जाए और वह आप पर दुरूद न भेजे।" मैंने इसके जवाब में आमीन कही। फिर जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब जिब्रील ने कहा "जिस व्यक्ति ने अपने मां-बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी ख़िदमत करके जन्नत हासिल न की उसके लिए भी हलाकत हो।" मैंने इसके जवाब में कहा आमीन। इसे हाकिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 12. रोज़ाखोरों का भयानक अंजाम।

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلاً وَعْرًا فَقَالاَ: اصْعَدْ فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أُطِيقُهُ، فَقَالاَ: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ، قُلْتُ: مَا هٰذِهِ الأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا: هٰذَا عَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ...». الْحَدِيْثَ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. (صحيح)

हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ि० कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना "मैं सोया हुआ था और मेरे पास दो आदमी आए। उन्होंने मुझे बाज़ुओं से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ पर लाए

1. सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 985।

और दोनों ने कहा "इस पहाड़ पर चढ़िए।" मैंने कहा "मैं नहीं चढ़ सकता।" उन्होंने कहा "हम आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे।" तो मैं चढ़ गया यहां तक कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया जहां मैंने सख़्त चीख़ व पुकार की आवाज़ें सुनी, मैंने पूछा "ये आवाज़ें कैसी हैं?" उन्होंने बताया "यह जहन्नमियों की चीख़ व पुकार है" फिर वह मेरे साथ आगे बढ़े जहां मैंने कुछ लोग उलटे लटके हुए देखे जिनके मुंह को चीर दिया गया जिससे ख़ून बह रहा है। मैंने पूछा "यह कौन लोग हैं?" उन्होंने जवाब दिया" ये वे लोग हैं जो रोज़ा समय से पहले इफ़्तार कर लिया करते थे।" इसे इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिबान ने रिवायत किया है।[1]

1. सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 995।

اَلصِّيَامُ فِىْ ضَوْءِ الْقُرْآنِ

रोज़ा क़ुरआन मजीद की रौशनी में

मसला 13. रोज़ा इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक स्तंभ है।

मसला 14. रोज़े पहली उम्मतों पर भी फर्ज़ थे।

मसला 15. रोज़े का उद्देश्य गुनाहों से बचने और नेकी पर चलने का प्रशिक्षण देना है।

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴾ (٢:١٨٣)

ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! तुम पर रोज़े फर्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के मानने वालों पर फर्ज़ किए गए थे। इससे आशा है कि तुम में तक़वा की विशेषता पैदा होगी। (सूरह बक़रा, आयत : 183)

मसला 16. रमज़ान का महीना पाने वाले हर मुसलमान पर पूरे महीने के रोज़े रखने फर्ज़ हैं।

मसला 17. मुसाफ़िर और मरीज़ को रोज़ा न रखने की छूट है, लेकिन रमज़ान के बाद उन दिनों की क़ज़ा अदा करनी ज़रूरी है।

मसला 18. रोगी या मुसाफ़िर पर रोज़ा छोड़ने का कोई प्रायश्चित नहीं है।

मसला 19. रमज़ान का महीना अल्लाह तआला की विशेष इबादत और प्रशंसा व स्तुति करने का महीना है।

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ و مَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴾ (٢:١٨٥)

रमज़ान वह महीना है जिसमें क़ुरआन नाज़िल किया गया है जो

इन्सानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क़ खोलकर रख देने वाली है, अतः अब से जो व्यक्ति इस महीने को पाए, उसको चाहिए कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे और जब कोई रोगी हो या सफ़र पर हो, तो वह दूसरे दिनों में रोज़े की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नर्मी करना चाहता है, सख़्ती करना नहीं चाहता। इसलिए यह तरीक़ा तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफ़राज़ किया है, इस पर अल्लाह की बड़ाई व्यक्त करो और शुक्रगुज़ार बनो। (सूरह बक़रा, आयत : 185)

मसला 20. रमज़ानुल मुबारक में रात के समय पत्नी से संभोग करना जाइज़ है।

मसला 21. इफ़्तार से लेकर सुबह सादिक़ के उदय होने तक का समय रोज़े की पाबन्दी से अपवाद है।

मसला 22. एतिकाफ़ के दौरान रात के समय पत्नी से संभोग करना मना है।

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴾ (١٨٧:٢)

तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को पत्नी के पास जाना हलाल कर दिया गया है वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह तआला को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके-चुपके अपने आप से बेइमानी कर रहे थे। मगर उसने तुम्हारे लिए ग़लती माफ़ कर दी और तुमसे दरगुज़र फ़रमाया। अब तुम अपनी पत्नियों के साथ रात बसर करो और जो मनोरंजन अल्लाह ने तुम्हारे लिए जाइज़ कर दिया है, उसे हासिल

करो और रातों को खाओ पियो यहां तक कि तुम रात की काली धारी से सुबह की सफ़ेद धारी प्रमुख नज़र आ जाए तब यह सब काम छोड़कर रात तक अपना रोज़ा पूरा करो और जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ़ हो तो पत्नियों से संभोग न करो। यह अल्लाह की बांधी हुई सीमाएं हैं, उनके क़रीब न फटकना। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए खोल कर बयान करता है, आशा है कि वे ग़लत रवैये से बचेंगे।

(सूरह, बक़रा : आयत : 187)

رُؤْيَــــةُ الْـهِـــلاَلِ

चांद देखने के मसाइल

मसला 23. रमज़ानुल मुबारक का चांद देखकर रोज़े शुरू करने चाहिएं।

मसला 24. शाबान के आख़िर में अगर आसमान पर बादल हो, तो शाबान के तीस दिन पूरे करने चाहिएं, अगर रमज़ान के आख़िर में आसमान पर बादल हो, तो रमज़ान के तीस दिन पूरे करने चाहिएं।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया चांद देखे बिना रमज़ान के रोज़े शुरू न करो और चांद देखे बिना रमज़ान ख़त्म न करो। अगर आसमान पर बादल हो तो महीने के तीस दिन पूरे कर लो।'' इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 25. एक मुसलमान की गवाही पर रोज़े शुरू किए जा सकते हैं।

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَآى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि लोगों ने चांद देखा और मैंने नबी अकरम सल्ल० को बताया ''कि मैंने भी चांद देखा है।'' अतएव नबी अकरम सल्ल० ने स्वयं भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक़्म दिया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 26. रमज़ान की पहली तारीख़ के चांद के देखने में छोटा या बड़ा होने से शक में नहीं पड़ना चाहिए।

---

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 653।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, भाग 2, हदीस 2052।

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، قَالَ: فَلَقِيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ قُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबुल बुख़्तरी रज़ि० कहते हैं "हम उमरा के लिए (मदीना से) रवाना हुए जब नख़ला के स्थान पर पहुंचे, तो सब ने (नया) चांद देखा, कुछ लोगों ने कहा ये तो तीसरी का चांद लगता है (बड़ा होने की वजह से) कुछ लोगों ने कहा कि दूसरी रात का लगता है। हमारी मुलाक़ात हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से हुई तो हमने उनसे कहा कि हमने चांद देखा, कुछ लोगों ने इसे तीसरी रात का चांद कहा है, कुछ लोगों ने दूसरी रात का। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने पूछा "तुमने कौन सी रात का चांद देखा था?" हमने बताया कि "फ़लां-फ़लां दिन देखा था" तो कहने लगे "रसूलुल्लाह सल्ल० का इरशाद मुबारक है अल्लाह तआला इसको तुम्हारे देखने के लिए बड़ा कर देता है अतः वह उसी रात का चांद था, जिस रात तुमने देखा था।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 27. नया चांद देखने पर यह दुआ पढ़ना मसनून है।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० जब चांद देखते तो यह दुआ पढ़ते "या इलाही! हम पर यह चांद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ प्रकट फ़रमा। (ऐ चांद) मेरा और तेरा रब अल्लाह है।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 28. चांद देखकर रोज़ा शुरू करने और चांद देखकर ख़त्म करने

1. सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 577।
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, भाग 3, हदीस 2745।

के लिए उस समय मौजूद इलाक़े या देश का ख़्याल रखना चाहिए।

मसला 29. दौराने रमज़ान एक देश से दूसरे देश सफ़र करने पर अगर मुसाफ़िर के रोज़ों की तादाद मौजूद इलाक़े में माहे रमज़ान के रोज़ों की संख्या से ज़ायद बनती हो तो ज़ायद दिनों के रोज़े छोड़ देने चाहिएं या नफ़िल रोज़े की नीयत से रखने चाहिएं, अगर संख्या कम बनती हो, तो ईद के बाद अपेक्षित संख्या पूरी करनी चाहिए।

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، فَقَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ! وَرَآهُ النَّاسُ وَ صَامُوْا وَ صَامَ مَعَهُ مُعَاوِيَة فَقَالَ: لَكِنَا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِيْنَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلاَ نَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَ صِيَامِهِ؟ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَ أَبُوْدَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ

हज़रत कुरैब रज़ि० (इब्ने अब्बास रज़ि० के ग़ुलाम) मरवी हैं कि हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ि० (हज़रत अब्बास रज़ि० की पत्नी) ने उन्हें हज़रत मुआविया रज़ि० के पास (किसी काम से) शाम भेजा। कुरैब कहते हैं कि मैंने शाम आकर उनका काम किया। मैं अभी शाम ही में था कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया मैंने भी जुमे की रात चांद देखा। फिर मैं रमज़ान के आख़िर में मदीना (वापस) आ गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने चांद के बारे में मुझसे मालूम किया कि तुमने (वहां) चांद कब देखा था। मैंने जवाब दिया कि हमने तो जुमे की रात देखा था हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने फिर पूछा क्या तुमने भी देखा था? मैंने जवाब दिया हां बहुत से दूसरे आदमियों ने भी देखा था और सब लोगों ने हज़रत मुआविआ रज़ि० के साथ (दूसरे दिन अर्थात हफ़्ता का) रोज़ा रखा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने फ़रमाया हमने तो चांद हफ़्ते के दिन (अर्थात एक दिन के फ़र्क़ से) देखा है। हम इसी हिसाब से रोज़े रखते रहेंगे। यहां तक

कि तीस दिन पूरे कर लें या चांद देख लें। मैंने अर्ज़ किया, आप लोग हज़रत मुआविआ रज़ि० से रिवायत और उनके रोज़े को काफ़ी नहीं समझते? फ़रमाया नहीं! हमें रसूले अकरम सल्ल० ने इसी तरह हुक्म फ़रमाया है। इसे अहमद, मुस्लिम अबू दाऊद, और नसाई ने रिवायत किया है।[1]

मसला 30. बादल की वजह से शव्वाल का चांद दिखाई न दे और रोज़ा रख लेने के बाद मालूम हो जाए कि चांद नज़र आ चुका है रोज़ा खोल देना चाहिए।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 177 में देखें।

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 578।

اَلـنِّـيَّـةُ

नीयत के मसाइल

मसला 31. आमाल के अज्र व सवाब का आधार नीयत पर है।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि "कर्मों का आधार नीयत पर है। हर व्यक्ति को वही मिलेगा, जिसकी उसने नीयत की, अतः जिसने दुनिया हासिल करने की नीयत से हिजरत की उसे दुनिया मिलेगी या जिसने किसी औरत से निकाह करने की मन्शा से हिजरत की उसे औरत ही मिलेगी तो मुहाजिर की हिजरत का बदला वही है जिसके लिए उसने हिजरत की।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 32. दिखावे का रोज़ा शिर्क है।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ (حسن)

हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ि० कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है, "जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया और जिसने दिखावे के लिए सदक़ा किया उसने शिर्क किया।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 33. रोज़े की नीयत दिल के इरादे से है प्रचलित शब्द

---

1. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, लिल ज़ुबैदी, हदीस 1।
2. अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब शैख़ मुहीउद्दीन अलदीब, भाग 1, हदीस 43।

व-बिसवमी ग़दिन नवैतु'' सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 34. फ़र्ज़ रोज़े की नीयत फ़ज्र से पहले करना ज़रूरी है।

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (صحيح)

हज़रत हफ़्सा रज़ि० से रिवायत है नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया ''जिसने फ़ज्र से पहले रोज़े की नीयत न की उसका रोज़ा नहीं।'' इसे अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 35. नफ़्ली रोज़े की नीयत दिन में ज़वाल से पहले किसी भी समय की जा सकती है।

मसला 36. नफ़्ली रोज़ा किसी समय किसी भी वजह से तोड़ा जा सकता है।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: أَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि एक दिन नबी अकरम सल्ल० मेरे घर तशरीफ़ लाए और पूछा ''क्या तुम्हारे पास कुछ (खाने को) है?'' हमने कहा ''नहीं'' नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया ''अच्छा तो फिर मेरा रोज़ा है'' किसी और दिन फिर नबी अकरम सल्ल० हमारे घर तशरीफ़ लाए मैंने अर्ज़ किया ''या रसूलल्लाह सल्ल० हैस (हलवा) का तोहफ़ा आया है।'' रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया ''तो लाओ मैं सुबह से रोज़े से था।'' फिर रसूलुल्लाह सल्ल० ने खा लिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 583।
2. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 63।

اَلسَّحُوْرُ وَ الْاِفْطَارُ

सहरी व इफ़्तार के मसाइल

मसला 37. सहरी खाने में बरकत है।

मसला 38. नींद से उठ जाने के बाद जान बूझकर सहरी छोड़नी नहीं चाहिए।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 39. रमज़ानुल मुबारक में फ़ज्र की अज़ान से पहले सहरी के लिए अज़ान देना सुन्नत है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत बिलाल रज़ि० रात को (सहरी से पहले) अज़ान दे दिया करते थे, अतएव रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "उस समय तक खाओ पियो जब तक इब्ने उम्मे मकतूम रज़ि० अज़ान न दे दें इसलिए कि इब्ने उम्मे मकतूम रज़ि० उस समय तक अज़ान नहीं देते जब तक फ़ज्र न हो जाए।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 40. इफ़्तार में जल्दी करना और सहरी देर से खाना अंबिया

---

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 665।
2. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 663।

किराम का तरीक़ा है।

عَنْ أَبِی الدَّرْدَاءِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّۃِ تَعْجِیْلُ الْإِفْطَارِ وَ تَاخِیْرُ السُّحُوْرِ وَ وَضْعُ الْیَمِیْنِ عَلَی الشِّمَالِ فِی الصَّلَاۃِ . رَوَاہُ الطَّبْرَانِیُّ (صحیح)

हज़रत अबू दरदा रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "तीन बातें नुबूवत के चरित्र से हैं : 1. रोज़ा जल्दी इफ़्तार करना। 2. सहरी देर से खाना। 3. नमाज़ में दायां हाथ बाएं के ऊपर बांधना।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 41. सहरी खाते-खाते अज़ान हो जाए तो खाना तुरन्त छोड़ने की बजाए जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (حسن)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया जब कोई आदमी अज़ान सुने और पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे फ़ौरन न रख देना चाहिए बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया।[2]

मसला 42. रोज़ा इफ़्तार करने के लिए सूर्य अस्त होना शर्त है।

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत उमर रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज अस्त हो जाए तो रोज़ेदार रोज़ा खोल ले।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

स्पष्टीकरण : सफ़र के दौरान जहाज़ पर सवार होते समय अगर रोज़ा इफ़्तार करने में पन्द्रह मिनट बाक़ी हों लेकिन सफ़र की अपेक्षित बुलन्दी पर पहुंचकर सूरज एक घंटा बाद अस्त हो तो रोज़ा भी एक घंटे बाद (अर्थात

---

1. सहीह जामेअ सग़ीर, लिल अलबानी, भाग 3, हदीस 3034।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 2, हदीस 2060।
3. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 668।

सूरज अस्त होने के बाद) ही इफ़्तार किया जाएगा। इसी तरह सहरी के समय का निर्धारण भी मौजूद जगह और मक़ाम के हिसाब से किया जाएगा।

मसला 43. ताज़ा खजूर, ख़ुश्क खजूर (छुआरा) या पानी से रोज़ा इफ़्तार करना मसनून है।

मसला 44. नमक से रोज़ा इफ़्तार करना सुन्नत से साबित नहीं।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (حسن)

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है नबी अकरम सल्ल० नमाज़ (मग़रिब) से पहले ताज़ा खजूर से रोज़ा इफ़्तार फ़रमाते, अगर ताज़ा खजूर न होती तो ख़ुश्क खजूरों (छुआरों) से इफ़्तार फ़रमाते, अगर ख़ुश्क खजूर न होते तो कुछ घूंट पानी से ही रोज़ा इफ़्तार फ़रमा लेते। इसे अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 45. रोज़ा इफ़्तार करते समय निम्न दुआ मांगना मसनून है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है नबी करीम सल्ल० जब रोज़ा इफ़्तार फ़रमाते तो यह पढ़ते : (प्यास ख़त्म हुई रगें तर हो गईं और रोज़े का सवाब इंशाअल्लाह पक्का हो गया।) इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 46. रोज़ा इफ़्तार करवाने वाले का अज्र रोज़ा इफ़्तार करने वाले के बराबर है।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 2, हदीस 2065।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 2, हदीस 2066।

फ़रमाया "जिसने रोज़ेदार को रोज़ा इफ़्तार कराया उसे भी उतना ही अज्र मिलेगा जितना अज्र रोज़ेदार के लिए होगा। और रोज़ेदार के अज्र से कोई चीज़ कम न होगी।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 47. इफ़्तार करवाने वाले को निम्न दुआ देनी चाहिए।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ تَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ (صحيح)

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० जब किसी के यहां रोज़ा इफ़्तार फ़रमाते तो यह दुआ देते : "अफ़त-र इंदकुमुस्साइमू-न व अ-क-ल तआ-मकुमुल अबरारु व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइकतु" (रोज़ेदार यहां रोज़ा इफ़्तार करते रहें। नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फ़रिश्ते तुम्हारे यहां (रहमत के लिए नाज़िल होते रहें।) इसे अहमद ने रिवायत किया है।[2]

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 647।
2. सहीह जामेअ सग़ीर, लिल अलबानी, भाग 4, हदीस 4553।

صَلَاةُ التَّرَاوِيْح

नमाज़े तरावीह के मसाइल

मसला 48. नमाज़े तरावीह पिछले छोटे गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَ إِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 49. क़याम रमज़ान या नमाज़े तरावीह बाक़ी महीनों में तहज्जुद या रात के क़याम का दूसरा नाम है।

मसला 50. नमाज़ तरावीह (या तहज्जुद) की मसनून रकअतें आठ हैं लेकिन ग़ैर मसनून रकअतों की कोई हद नहीं, जो जितनी चाहे पढ़े।

عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ؟ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ि० ने हज़रत आइशा रज़ि० से पूछा "रसूलुल्लाह सल्ल० की रमज़ान की रात की नमाज़ कैसी होती थी?" हज़रत आइशा रज़ि० ने जवाब दिया "रसूलुल्लाह सल्ल० रमज़ान में रात की नमाज़ (अर्थात तरावीह) ग्यारह रकअतों से ज़्यादा न पढ़ते थे। चार रकअतें पढ़ते और उनके लम्बी व बेहतर होने का क्या कहना। फिर तीन

1. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, लिल ज़ुबेदी, हदीस 35।

रकअत वित्र अदा फ़रमाते।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 51. नमाज़े तरावीह का समय इशा के बाद से लेकर फ़ज्र के उदय तक है।

मसला 52. नमाज़े तरावीह दो-दो रकअत पढ़ना श्रेष्ठ है।

मसला 53. वित्र की एक रकअत अलग पढ़नी भी मसनून है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० नमाज़ इशा और नमाज़ फ़ज्र के बीच ग्यारह रकअतें नमाज़ अदा फ़रमाते हर दो रकअत के बाद सलाम फेरते और फिर सारी नमाज़ को एक रकअत से वित्र बनाते। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 54. रसूलुल्लाह सल्ल० ने सहाबा किराम रज़ि० को केवल तीन दिन नमाज़ तरावीह जमाअत से पढ़ाई।

मसला 55. औरतें नमाज़ तरावीह मस्जिद में जाकर अदा कर सकती हैं।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَ قَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ فَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَ دَعَا أَهْلَهُ وَ نِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ، قُلْتُ لَهُ: وَ مَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ السُّحُوْرُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

हज़रत अबू ज़र रज़ि० से मरवी है उन्होंने कहा हमने रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ रोज़े रखे नबी अकरम सल्ल० ने हमें तरावीह की नमाज़ नहीं पढ़ाई यहां तक कि रमज़ान के सात दिन बाक़ी रह गए, 23वीं रात की एक

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 426।
2. सहीह मुस्लिम, किताबुल मुसाफ़िरीन अध्याय सलातुल्लैल।

तिहाई गुज़र जाने पर नबी अकरम सल्ल० ने हमें नमाज़ तरावीह पढ़ाई फिर हुज़ूर अकरम सल्ल० ने चौबीसवीं रात को नमाज़ तरावीह नहीं पढ़ाई, पच्चीसवीं रात आधी रात गुज़र जाने पर नमाज़े तरावीह पढ़ाई। हम ने कहा "या रसूलुल्लाह सल्ल० क्या यही अच्छा हो अगर आप रमज़ान की बाक़ी रातों में भी हमें नफ़्ल नमाज़ पढ़ाएं" नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "जिसने इमाम के फ़ारिग़ होने तक इमाम के साथ क़याम किया (अर्थात नमाज़े तरावीह जमाअत से अदा की) उसके लिए सारी रात क़याम का सवाब लिखा जाएगा।" फिर हुज़ूर अकरम सल्ल० ने हमें नमाज़ तरावीह नहीं पढ़ाई यहां तक कि तीन रोज़ बाक़ी रह गए, अतएव आप सल्ल० ने हमें तीसरी बार सत्ताइसवीं रात तरावीह पढ़ाई, जिसमें अपने घर वालों को भी शामिल किया यहां तक कि हमें फ़लाह के ख़त्म होने का डर हुआ। मैंने अबूज़र रज़ि० से पूछा, फ़लाह क्या है? हज़रत अबूज़र रज़ि० ने जवाब दिया, "सहरी।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 56. एक, तीन या पांच वित्र पढ़ना भी मसनून है।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ. (صحيح)

हज़रत अबू अय्यूब रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "वित्र पढ़ना हर मुसलमान के ज़िम्मे है, जो पसन्द करे वह पांच पढ़े, जो पसन्द करे वह तीन पढ़े और जो पसन्द करे वह एक पढ़े।" इसे अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 57. एक तशह्हुद और एक सलाम से तीन वित्र पढ़ना मसनून है।

मसला 58. पहली रकअत में सूरह "आला" दूसरी में "काफ़िरून" तीसरी में सूरह "इख़्लास" पढ़नी मसनून है।

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 646।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1260।

وعَنْ أُبي بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَفِي الثَّالِثَةِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. (صحيح)

हज़रत उबई बिन काअब रज़ि० से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्ल० वित्र की तीन रकअतों में से पहली रकअत में "सूरह आला" दूसरी में "सूरह काफ़िरून" और तीसरी में "सूरह इख़्लास" पढ़ा करते थे। इसे नसाई ने रिवायत किया है।[1]

मसला 59. नमाज़ मग़रिब की तरह दो तशह्हुद और एक सलाम से तीन वित्र अदा करना सही नहीं।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تُوْتِرُوْا بِثَلَاثٍ أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ وَ لَا تَشَبَّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से रिवायत करते हैं कि तीन वित्र (नमाज़े मग़रिब की तरह) न पढ़ो बल्कि पांच या सात पढ़ो और (तीन वित्र नमाज़ मग़रिब की तरह दो तशह्हुद और एक सलाम से पढ़कर वित्रों की नमाज़ मग़रिब से समानता न करो।) इसे दारे क़ुतनी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 60. वित्रों में दुआए क़ुनूत रुकूअ से पहले और बाद दोनों तरह से पढ़नी जाइज़ है।

سُئِلَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ: قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. (صحيح)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० से दुआए क़ुनूत के बारे में मालूम किया गया, तो उन्होंने कहा "रसूलुल्लाह सल्ल० ने रुकूअ के बाद दुआए क़ुनूत पढ़ी है" एक रिवायत में यूं है कि "रुकूअ से पहले और बाद दोनों तरह पढ़ी है।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[3]

---

1. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1606।
2. अत्तालीक़ मुग़ना, भाग 2, पृ० 25।
3. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 971।

मसला 61. दुआए क़ुनूत जो नबी अकरम सल्ल० ने हसन बिन अली रज़ि० को वित्र में पढ़ने के लिए सिखाई यह है।

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي قُنُوْتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ. (صحيح)

हज़रत हसन बिन अली रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुझे वित्रों में पढ़ने के लिए यह दुआए क़ुनूत सिखाई ''इलाह मुझे हिदायत दे और हिदायत पाए लोगों में शामिल फ़रमा, मुझे आफ़ियत दे और उन लोगों में शामिल फ़रमा जिन्हें तूने आफ़ियत प्रदान फ़रमाई है, मुझे अपना दोस्त बनाकर उन लोगों में शामिल फ़रमा जिन्हें तूने अपना दोस्त बनाया है, जो नेमतें तूने मुझे दी हैं उनमें बरकत प्रदान फ़रमा। उस बुराई से मुझे सुरक्षित रख जिसका तूने फ़ैसला किया है। बेशक फ़ैसला करने वाला तू ही है और तेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया जाता। जिसे तू दोस्त रखे वह भी बदनाम नहीं होता और जिससे तू दुश्मनी रखे वह भी इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता, ऐ हमारे परवरदिगार! तेरी ज़ात बड़ी बरकत वाली और बुलन्द व श्रेष्ठ है।'' इसे तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, नसाई, इब्ने माजा और दारमी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 62. दूसरी मसनून दुआए क़ुनूत यह है।

عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَنَتَ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَ نَشْكُرُكَ، وَ لاَ نَكْفُرُكَ، وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّى وَ نَسْجُدُ وَ إِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. رَوَاهُ الطَّحَاوِىُّ (صحيح)

हज़रत उमर रज़ि० यह दुआए क़ुनूत पढ़ा करते थे ''या अल्लाह! हम तुझसे मदद चाहते हैं। तुझसे बख़्शिश के तलबगार हैं और तेरी हर तरह की

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 967।

बेहतरीन प्रशंसाएं करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं नाशुक्री नहीं करते, जो व्यक्ति तेरी अवज्ञा करे हम उससे संबंध विच्छेद करते हैं और उसे छोड़ते हैं। या अल्लाह! हम केवल तेरी ही उपासना करते हैं। केवल तेरे ही लिए नमाज़ पढ़ते हैं, केवल तुझे ही सज्दा करते हैं, केवल तेरी ही राह में मेहनत और संघर्ष करते हैं। हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं तेरे अज़ाब से डरते हैं। बेशक काफ़िरों को तेरा अज़ाब पहुंच कर रहेगा।'' इसे तहावी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 63. तीन रात से कम समय में क़ुरआन करीम ख़त्म करना नापसन्दीदा अमल है।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया जो व्यक्ति तीन रात से कम समय में क़ुरआन करीम ख़त्म करता है वह क़ुरआन को नहीं समझता।'' इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 64. एक रात में क़ुरआन करीम ख़त्म करना सुन्नत के खिलाफ़ है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَءَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ حَتَّى الصَّبَاحَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं ''मैं नहीं जानती कि नबी अकरम सल्ल० ने कभी सुबह तक सारा क़ुरआन मजीद ख़त्म किया हो।'' इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[3]

मसला 65. सजदा तिलावत में यह मसनून दुआ पढ़नी चाहिए।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِي سُجُوْدِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

1. अरवाहुल ग़लील 2/163-165।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1242।
3. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1108।

وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं नबी अकरम सल्ल० कयामुल्लैल के दौरान जब सजदा तिलावत करते तो फ़रमाते "मेरे चेहरे ने उस हस्ती को सज्दा किया जिसने इसे पैदा किया और अपनी ताक़त व क़ुदरत से इसमें कान और आंखें बनाईं।" इसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसाई ने रिवायत किया है।[1]

मसला 66. फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नफ़्ल नमाज़ों में क़ुरआन करीम से देखकर तिलावत करना जाइज़ है।

كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत आइशा रज़ि० का ग़ुलाम ज़कवान क़ुरआन करीम से देखकर नमाज़ पढ़ाया करता था। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 67. नफ़्ली इबादत में जब तक शौक और रग़बत रहे, करते रहना चाहिए तकलीफ़ या थकावट महसूस हो, तो छोड़ देना चाहिए।

मसला 68. इबादत में बीच की राह पसन्दीदा है।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ وَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "नफ़्ल नमाज़ अपनी तबियत की ख़ुशी और शौक के मुताबिक़ पढ़ो, जब तबियत थक जाए तो बैठ जाओ।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خُذُوْا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "अपनी

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1255।
2. किताबुल अज़ान अध्याय इमामतुल अब्द वल मौला।
3. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 448।

हिम्मत के अनुसार उपासना करो, अल्लाह (सवाब देते-देते) कभी नहीं थकता जबकि तुम (उपासना करते-करते) थक जाते हो।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «يَا عَبْدَاللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "ऐ अब्दुल्लाह! तुम फ़लां आदमी की तरह न हो जाना जो रात को (इबादत के लिए) उठा करता था, फिर उसने उठना छोड़ दिया।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 712।
2. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 717।

رُخْصَةُ الصَّوْمِ

रोज़े की छूट के मसाइल

मसला 69. सफ़र में रोज़ा रखना और छोड़ना दोनों सही हैं।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطِرْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि हमज़ा बिन अम्र असलमी रज़ि० ने नबी अकरम सल्ल० से पूछा "क्या मैं सफ़र में रोज़ा रखूं।?" और वह अधिकता से रोज़े रखने वाले थे। हुज़ूर अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "अगर चाहे तो रख चाहे न रख।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० से रिवायत है कि हम सोलहवें रोज़े को नबी अकरम सल्ल० के साथ जिहाद के लिए निकले, हममें से कुछ लोगों ने रोज़ा रखा और कुछ लोगों ने छोड़ दिया। न रोज़ेदार ने बेरोज़ेदार पर आपत्ति की न बेरोज़ेदार ने रोज़ेदारों पर आपत्ति की। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 70. हैज़ व निफ़ास वाली औरत को इस हालत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए, हैज़ या निफ़ास ख़त्म होने के बाद रोज़े की क़ज़ा अदा करनी होगी।

---

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 684।
2. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 599।

मसला 71. दूध पिलाने वाली गर्भवती औरत को रोज़ा न रखने की छूट है, बाद में केवल क़ज़ा होगी।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ. فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० ने कहा, नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया "क्या ऐसा नहीं (अर्थात ऐसा है) कि औरत जब मासिक धर्म से होती है तो न नमाज़ पढ़ सकती है न रोज़ा रख सकती है और उनके दीन में कमी की यही वजह है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ. (حسن)

हज़रत अनस बिन मालिक अल काअबी रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "अल्लाह ने मुसाफ़िर को रोज़ा बाद में रखने, आधी नमाज़ की छूट दी है जबकि गर्भवती और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा बाद में रखने की छूट दी।" इसे अहमद, अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : أَنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِيْ كَثِيْرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ فَلَا يَجِدُ الْمُسْلِمُوْنَ بُدًّا مِنْ اِتِّبَاعِهَا مِنْ ذٰلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबूज़्ज़नाद रह० कहते हैं मसनून और शरअी आदेश कभी कभी राय के विपरीत होते हैं लेकिन मुसलमानों पर उन आदेश की पैरवी करना लाज़िम है। इन्हीं आदेशों में से एक यह भी है कि मासिक धर्म वाली रोज़ों की क़ज़ा तो दे, लेकिन नमाज़ की क़ज़ा न दे। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[3]

---

1. किताबुस्सोम बाबुल हाइज़ तरकुस्सोम वस्सलात।
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 575।
3. किताबुस्सोम बाबुल हाइज़ तरकुस्सोम वस्सलात।

मसला 72. सफ़र या जिहाद में दुश्वारी को देखते हुए रोज़ा छोड़ा जा सकता है और अगर रखा हो, तो तोड़ा जा सकता है। इसकी केवल क़ज़ा होगी प्रायश्चित नहीं।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ ، أَفْطَرَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० रमज़ान के महीने में मक्का की तरफ़ (मक्का की चढ़ाई के इरादे से निकले) जब कदीद के स्थान पर पहुंचे तो आपने रोज़ा तोड़ दिया और लोगों ने भी तोड़ दिया। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 73. बुढ़ापा या ऐसी बीमारी, जिसके ख़त्म होने की आशा न हो, की वजह से रोज़ा रखने की बजाए फ़िदया अदा किया जा सकता है। एक रोज़े का फ़िदया एक मिस्कीन को दो समय का खाना खिलाना है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ (صحيح)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि बूढ़े आदमी को रोज़ा न रखने की छूट दी गई है। लेकिन वह हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को (दो समय का) खाना खिलाए और उस पर कोई क़ज़ा नहीं। इसे दारे क़ुतनी और हाकिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 74. ऐसे तमाम काम जिनमें रोज़े की छूट है जैसे बीमारी, सफ़र, बुढ़ापा, जिहाद औरत के मामले में हमल और इरज़ा (दूध पिलाने वाली) आदि के होते हुए भी कोई शौक़ से रोज़ा रख ले लेकिन बाद में रोज़ा निभा न सके, तो उसे रोज़ा तोड़ देना चाहिए इस सूरत में केवल क़ज़ा होगी।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَقَالُوْا: صَائِمٌ. فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 680।
2. नैलुल औतार, किताबुस्सियाम अध्याय माजा फ़िल मरीज़ व शैख़।

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने दौराने सफ़र लोगों की भीड़ देखी लोग एक आदमी पर साया किए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्ल० ने पूछा "क्या बात है?" लोगों ने अर्ज़ किया "रोज़ेदार है।" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया "दौराने सफ़र (इस हालत में) रोज़ा रखना नेकी नहीं है।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 681।

صِيَامُ الْقَضَاءِ

क़ज़ा रोज़ों के मसाइल

मसला 75. फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा आगे रमज़ान से पहले किसी समय भी अदा की जा सकती है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं "मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाक़ी रहते और मैं क़ज़ा रोज़े शाबान से पहले रखने का मौक़ा न पाती।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 76. फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा अलग अलग या निरंतर दोनों तरह जाइज़ है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٌ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं "कि रोज़ों के बारे में पहले यह आयत नाज़िल हुई कि क़ज़ा रोज़े (रमज़ान के अलावा) दूसरे दिनों में लगातार रखे जाएं। लेकिन बाद में लगातार रोज़े रखने का हुक्म ख़त्म हो गया।" इसे दारे क़ुतनी ने रिवायत किया है।[2]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं (क़ज़ा रोज़े रखने में) अलग-अलग रोज़े रखे जाएं, तो कोई हरज नहीं क्योंकि अल्लाह तआला का इरशाद है "कि दूसरे दिनों में तादाद पूरी की जाए।" इसे बुख़ारी ने रिवायत

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 703।
2. नैलुल औतार किताबुस्सियाम अध्याय क़ज़ा।

किया है।[1]

मसला 77. मरने वाले के क़ज़ा रोज़े उसके वारिस को रखने चाहिएं।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत आइशा रज़ि० ने कहा रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जो व्यक्ति मर जाए और उस पर फ़र्ज़ रोज़े रखने बाक़ी हों तो उसका वारिस क़ज़ा रोज़े रखे।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 78. नफ़्ली रोज़े की क़ज़ा अदा करनी वाजिब नहीं।

عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ - جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأُمُّ هَانِيءٍ عَنْ يَمِيْنِهِ قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِإِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِيءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا: «أَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. (صحيح)

हज़रत उम्मे हानी रज़ि० कहती हैं यौमे फ़तह अर्थात फ़तह मक्का के रोज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ि० रसूले अकरम सल्ल० की बाईं तरफ़ आकर बैठीं और मैं (अर्थात उम्मे हानी) आप सल्ल० के दायीं तरफ़, इतने में एक लौंडी बर्तन लेकर आई, जिसमें पीने की कोई चीज़ थी, लौंडी ने वह बर्तन रसूले अकरम सल्ल० को दिया, आप सल्ल० ने उस बर्तन से पिया, फिर वह बर्तन मुझे दिया, मैंने उससे पिया और कहा "या रसूलुल्लाह सल्ल० मेरा रोज़ा था, मैंने (आप सल्ल० का झूठा पीने के लिए) रोज़ा तोड़ दिया" आप सल्ल० ने पूछा "क्या तुमने क़ज़ा रोज़ा रखा था?" मैंने अर्ज़ किया "नहीं" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया "अगर नफ़्ली रोज़ा था, तो कोई हरज की बात नहीं।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[3]

मसला 79. अगर किसी ने बादल की वजह से रोज़ा समय से पहले

1. किताबुस्सोम।
2. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 704।
3. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 2, हदीस 2145।

इफ़्तार कर लिया लेकिन बाद में यक़ीन हो गया कि सूरज अस्त नहीं हुआ था इस सूरत में क़ज़ा वाजिब होगी इस तरह सहरी के समय खाना खा लिया और बाद में यक़ीन हो गया कि सुबह सादिक़ हो चुकी थी इस सूरत में भी क़ज़ा वाजिब हो गई कफ़्फ़ारा नहीं।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: فَلَا بُدَّ مِنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. (صحيح)

हज़रत असमा बिन्ते अबूबक्र रज़ि० कहती हैं रसूले अकरम सल्ल० के ज़माने में एक रोज़ हमने बादल की वजह से रोज़ा इफ़्तार कर लिया बाद में सूरज निकल आया, (हदीस के एक रावी उसामा कहते हैं) मैंने हिशाम (दूसरा रावी) से पूछा "क्या लोगों को इस वजह से क़ज़ा का हुक्म दिया गया था?" हिशाम ने जवाब दिया "क़ज़ा के बिना कोई चारा है?" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1358।

اَلْحَالَاتُ الَّتِىْ لَا يَكْرَهُ فِيْهَا الصَّوْمُ

वे काम जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता

मसला 80. भूल चूक से खा-पी लेना रोज़े को तोड़ता है न मक्रूह करता है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० नबी करीम सल्ल० से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "जब कोई भूलकर खा-पी ले तो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 81. मिस्वाक करने से रोज़ा मक्रूह नहीं होता।

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ि० से रिवायत है मैंने नबी अकरम सल्ल० को रोज़े की हालत में इतनी बार मिस्वाक करते देखा है कि गिन नहीं सकता। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 82. गर्मी की सख़्ती से रोज़ेदार सिर पर पानी बहा सकता है। इससे रोज़ा मक्रूह नहीं होता।

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوٗدَ

हज़रत अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान रज़ि० कहते हैं नबी अकरम सल्ल० के सहाबा में से एक सहाबी ने कहा "मैंने नबी अकरम सल्ल० को देखा कि

1. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, लिल ज़ुबैदी, हदीस 940।
2. किताबुस्सोम।

नबी अकरम सल्ल० रोज़े में गर्मी या प्यास की वजह से सिर पर पानी बहा रहे थे।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 83. रोज़े की हालत में मज़ी निकल जाए या एहतिलाम हो जाए, तो रोज़ा टूटता है न मक्रूह होता है।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत इकरिमा रज़ि० फ़रमाते हैं "कि रोज़ा किसी चीज़ के जिस्म में दाख़िल होने से टूटता है जिस्म से निकलने से नहीं टूटता।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 84. सिर में तेल लगाने, कंघी करने या आंखों में सुर्मा लगाने से रोज़ा मक्रूह नहीं होता।

मसला 85. हंडिया का स्वाद चखने या थूक निगलने से रोज़ा मक्रूह नहीं होता।

मसला 86. मक्खी के हलक़ में चले जाने या उसके बाहर निकलने से रोज़ा मक्रूह नहीं होता।

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِيْنًا مُتَرَجِّلاً

قَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالسَّعُوْطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ

قَالَ عَطَاءٌ: يَبْتَلِعُ رِيقَهُ.

قَالَ الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फ़रमाया "जब तुममें से कोई रोज़ेदार हो तो उसे तेल कंघी कर लेना चाहिए।"[2]

हज़रत हसन रज़ि० फ़रमाते हैं "रोज़ेदार के लिए नाक में दवा डाल

1. सहीह सुनन
2. किताबुस्सोम।
3. किताबुस्सोम अध्याय इग़तिसाल साइम।

लेना कोई हरज नहीं बशर्ते कि हलक़ तक न पहुंचे और रोज़ेदार सुर्मा लगा सकता है।"[1]

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं "रोज़ेदार हंडिया या किसी दूसरी चीज़ का जायक़ा चख ले तो कोई हरज नहीं।"[2]

हज़रत अता रह० ने कहा "रोज़ेदार अपना थूक निगल सकता है।"[3]

हज़रत हसन रज़ि० ने कहा "अगर मक्खी रोज़ेदार के हलक़ में चली जाए तो कोई हरज नहीं।"[4]

मसला 87. अगर किसी पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो, लेकिन देर से उठे, तो वह सहरी खाकर ग़ुस्ल कर सकता है, अलबत्ता खाने से पहले वुज़ू कर लेना चाहिए।

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلٰى أُمِّ سَلْمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान रज़ि० से रिवायत है कि मैं और मेरे बाप हज़रत आइशा रज़ि० के पास आए। हज़रत आइशा रज़ि० ने बयान किया "कि मैं गंवाही देती हूं रसूलुल्लाह सल्ल० एहतिलाम के सबब से नहीं बल्कि संभोग के सबब से हालते जनाबत में सुबह करते और (ग़ुस्ल के बिना) रोज़ा रखते (बाद में नमाज़ फ़ज्र से पहले ग़ुस्ल फ़रमाते) फिर हम (दोनों) हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० के पास आए और उन्होंने भी यही बात की।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[5]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1. किताबुस्सोम अध्याय क़ौलुन्नबी।
2. किताबुस्सोम अध्याय इग़तिसाल साइम।
3. किताबुस्सोम अध्याय इग़तिसाल साइम।
4. किताबुस्सोम अध्याय इक़्तिसाइम।
5. किताबुस्सोम अध्याय इग़तिसाल साइम।

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं "रसूलुल्लाह सल्ल० हालते जनाबत में खाना या सोना चाहते, तो पहले नमाज़ की तरह का वुज़ू फ़रमा लेते।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 88. रोज़े की हालत में पत्नी का चुम्बा लेना जाइज़ है बशर्तेकि भावना पर क़ाबू हो।

मसला 89. गर्मी की सख़्ती से रोज़ेदार ग़ुस्ल या कुल्ली कर सकता है।

عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَ أَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَ أَنْتَ صَائِمٌ . قُلْتُ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَهْ ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُوْدَاوُد

हज़रत उमर रज़ि० से रिवायत है कि एक दिन मेरा जी चाहा और मैंने अपनी पत्नी का चुम्बा ले लिया। मैंने नबी अकरम सल्ल० की ख़िदमत में अर्ज़ किया "कि आज मैंने बड़ा (ग़लत) काम किया है रोज़े की हालत में चुम्बा ले लिया है।" रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "अच्छा बताओ अगर तुम रोज़े की हालत में कुल्ली कर लो तो फिर।" मैंने अर्ज़ किया कुल्ली में क्या हरज है।" नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया फिर किस चीज़ में हरज है?" (अर्थात बोसा लेना में कोई हरज नहीं) इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 90. रोज़े में पुछने लगवाना जाइज़ है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं नबी अकरम सल्ल० ने रोज़े की हालत में पुछने लगवाए। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[3]

स्पष्टीकरण : इलाज के तौर पर सूईं 'ब्लेड' या उस्तरे के साथ जिस्म के किसी हिस्से से ख़ून निकालने को पुछने लगवाना कहते हैं।

---

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 162।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, भाग 2, हदीस 2089।
3. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी लिल ज़ुबैदी, हदीस 942।

اَلْاَشْيَاءُ الَّتِىْ لاَ يَجُوْزُ فِعْلُهَا فِى الصَّوْمِ

वे काम जो रोज़े की हालत में नाजाइज़ हैं

मसला 91. ग़ीबत करना, झूठ बोलना, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना रोज़े की हालत में नाजाइज़ हैं।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जो व्यक्ति (रोज़ा रखकर) झूठ बोलना उसपर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह को इस बात की कोई हाजत नहीं कि वह खाना पीना छोड़ दे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया।[1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह रज़ि० ने फ़रमाया "रोज़ा ढाल है अतः जब कोई रोज़ा रखे तो अश्लील बातें न करे। बेहूदापन न दिखाए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति रोज़ेदार से गाली गलौच करे या झगड़े तो रोज़ेदार कह दे (भाई) मैं रोज़े से हूं।" (तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दूंगा) इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 92. रोज़े की हालत में बेहूदा, अश्लील और जिहालत के काम या बुरी बातें करना मना है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ

1. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, लिल ज़ुबैदी, हदीस 925।
2. किताबुस्सोम।

الأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ». رَوَاهُ ابنُ خُزَيْمَةَ. (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह ने फ़रमाया "रोज़ा खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि बेहूदा और गन्दे कामों से रुकने का नाम है, अतः अगर रोज़ेदार से कोई गाली गलौंच करे या जिहालत से पेश आए तो उसे कह देना चाहिए मैं रोज़े से हूं।" (अर्थात तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा) इसे इब्ने ख़ुज़ैमा ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لاَ تُسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ». رَوَاهُ ابنُ خُزَيْمَةَ. (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से रिवायत करते हैं कि रोज़े की हालत में किसी को गाली न दो अगर कोई दूसरा तुम्हें गाली दे, तो उसे कह दो मैं रोज़े से हूं, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। इसे इब्ने ख़ुज़ैमा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 93. जो रोज़ेदार अपनी वासना पर क़ाबू न रखता हो उसके लिए पत्नी से गले मिलना या बोसा लेना जाइज़ नहीं।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَ يُبَاشِرُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं "नबी अकरम सल्ल० रोज़े की हालत में बोसा लेते, गले मिलते लेकिन वह अपनी वासना पर सबसे ज़्यादा क़ाबू पाने वाले थे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[3]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (حسن)

---

1. इब्ने ख़ुज़ैमा लिल दक्तूर मुहम्मद मुस्तफ़ा आज़मी भाग 3, हदीस 1996।
2. इब्ने ख़ुज़ैमा लिल दक्तूर मुहम्मद मुस्तफ़ा आज़मी भाग 3, हदीस 1994।
3. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी लिल ज़ुबैदी, हदीस 939।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्ल० से रोज़े की हालत में (पत्नी से) गले मिलने के बारे में सवाल किया नबी करीम सल्ल० ने इजाज़त दे दी फिर एक और आदमी आया उसने भी वही सवाल पूछा नबी अकरम सल्ल० ने उसे मना फ़रमा दिया (अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं) जिसको नबी करीम सल्ल० ने इजाज़त दी वह बूढ़ा था और जिसे नबी करीम सल्ल० ने मना फ़रमाया वह जवान था। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 94. रोज़े की हालत में कुल्ली करते समय नाक में इस तरह पानी डालना जाइज़ नहीं कि हलक़ तक पहुंचने का ख़तरा हो।

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوْءِ؟ قَالَ «أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا». رواه أبوداود والترمذي (صحيح)

हज़रत लुक़ीत बिन सबरा रज़ि० से रिवायत है कि मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्ल०! वुज़ू के बारे में मुझे कुछ बताइए।" नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "वुज़ू पूरा करो, उंगलियों के बीच ख़िलाल करो और नाक में अच्छी तरह पानी डालो, लेकिन अगर रोज़ा हो तो फिर ऐसा न करो।" इसे अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, भाग 2, हदीस 2090।
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, भाग 1, हदीस 631।

اَلْاَشْيَاءُ الَّتِیْ تُفْسِدُ الصَّوْمِ

रोज़े को ख़राब करने या तोड़ने वाले काम

मसला 95. रोज़े के दौरान सम्भोग करने से रोज़ा टूट जाता है। उस पर कफ़्फ़ारा भी है क़ज़ा भी।

मसला 96. रोज़े का कफ़्फ़ारा एक ग़ुलाम आज़ाद करना या दो माह के लगातार रोज़े रखना या साठ मोहताजों को खाना खिलाना है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلَكْتُ قَالَ: **مَالَكَ** قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: **هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟** قَالَ: **لَا** قَالَ: **فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟** قَالَ: لَا. قَالَ: **هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟** قَالَ: لَا، قَالَ: اجْلِسْ، وَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: **أَيْنَ السَّائِلُ؟** قَالَ: أَنَا، قَالَ: **خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ**، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَارَسُوْلَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: **أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ**. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि हम नबी अकरम सल्ल० के पास बैठे थे कि एक सहाबी आए और कहने लगे या "रसूलुल्लाह सल्ल० मैं हलाक हो गया।" नबी अकरम सल्ल० ने पूछा "क्या बात है?" उसने कहा "मैं रोज़े की हालत में पत्नी से संभोग कर बैठा हूं।" रसूलुल्लाह सल्ल० ने पूछा "क्या तू एक ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है" उसने कहा "नहीं।" नबी अकरम सल्ल० ने फिर मालूम फ़रमाया "क्या दो माह के लगातार रोज़े रख सकते हो?" उसने अर्ज़ किया "नहीं।" नबी अकरम सल्ल० ने फिर पूछा "क्या साठ मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो?" उसने अर्ज़ किया "नहीं।" नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, अच्छा बैठ जाओ।" नबी अकरम सल्ल० थोड़ी देर रुके। हम अभी इस हालत में बैठे थे कि हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में एक खजूरों का अर्क़ लाया गया। अर्क़ बड़े टोकरे को

कहा जाता है। नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, ये खजूरें ले जा और सदक़ा कर दे।" उसने अर्ज़ किया "या रसूलल्लाह सल्ल० क्या सदक़ा अपने से ज़्यादा मोहताज लोगों को दूं?" वल्लाह मदीने की सारी आबादी में कोई घर मेरे घर से ज़्यादा मोहताज नहीं।" रसूलुल्लाह सल्ल० हंस दिए यहां तक कि नबी अकरम सल्ल० की दाढ़ें नज़र आने लगीं। नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया "अच्छा जाओ अपने घर वालों को ही खिला दो।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «تَصَدَّقْ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ.

हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ि० कहते हैं एक आदमी नबी अकरम सल्ल० के पास आया और कहा "मैंने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया है।" नबी अकरम सल्ल० ने उसे फ़रमाया 'सदक़ा कर' अल्लाह से माफ़ी मांग, और रोज़े की क़ज़ा अदा कर।" इसे इब्ने अबी शैबा ने मुसन्नफ़ में रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : आज भी अगर कोई व्यक्ति ऐसी सूरते हाल से दोचार हो और तीनों कामों में से किसी एक पर भी ताक़त न रखता हो तो उसे यथा हैसियत सदक़ा कर देना चाहिए, लेकिन जब तीनों में से किसी एक काम की भी हैसियत हासिल हो जाए तो कफ़्फ़ारा अदा करना लाज़मी होगा।

मसला 97. जानकर क़ै (उलटी) करने से रोज़ा टूट जाता है और उस पर क़ज़ा वाजिब है।

मसला 98. आप से आप क़ै आने से रोज़ा नहीं टूटता।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने

1. मिश्कातुल मसाबीह, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 2004।
2. अरवाउल ग़लील, लिल अलबानी 4/92।

फ़रमाया "जिस रोज़ेदार को आप से आप क़ै आए उस पर क़ज़ा नहीं है, अलबत्ता जो रोज़ेदार जानकर क़ै लाए वह क़ज़ा रोज़ा रखे।" इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 99. हैज़ या निफ़ास शुरू होने से औरत का रोज़ा टूट जाता है, रोज़े की क़ज़ा है, नमाज़ की नहीं।

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "क्या ऐसा नहीं है कि औरत जब मासिक धर्म से हो जाती है, तो न नमाज़ पढ़ सकती है न रोज़ा रख सकती है और औरतों के दीन में कमी की यही वजह है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ السُّنَنَ وَوُجُوْهَ الْحَقِّ لَتَأْتِيْ كَثِيْرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ فَلَا يَجِدُ الْمُسْلِمُوْنَ بُدًّا مِنْ إِتِّبَاعِهَا مِنْ ذٰلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबुल ज़नाद रह० कहते हैं मसनून और शरअी अहकाम कभी कभी राय के विपरीत होते हैं लेकिन मुसलमानों पर उन अहकाम की पैरवी करना लाज़िम है। इन्हीं अहकाम में से एक यह भी है कि हैज़ वाली रोज़ों की क़ज़ा तो दे, लेकिन नमाज़ की क़ज़ा न दे। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया किया है।[3]

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, भाग 2, हदीस 2084।
2. किताबुस्सोम अध्याय हाइज़ तरकुस्सोम वस्सलात।
3. किताबुस्सोम अध्याय हाइज़ तरकुस्सोम वस्सलात।

صِيَامُ التَّطَوُّعِ

नफ़्ली रोज़े

मसला 100. नफ़्ली रोज़े की श्रेष्ठता।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अबू सईद रज़ि० कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह तआला उसे सत्तर साल की दूरी के बराबर जहन्नम की आग से दूर कर देंगे। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 101. हर साल शव्वाल में छः रोज़े रखने का सवाब उम्र भर रोज़े रखने के बराबर है।

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जो व्यक्ति रमज़ान के रोज़े रखकर (हर साल) शव्वाल में भी छः रोज़े रखे उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलता है।" इसे मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : 30+6=36×10=360 रोज़ों का सवाब अर्थात साल भर और अगर हर साल के रमज़ान के बाद (हर साल बाक़ायदगी से) शव्वाल के छः रोज़े रखे जाएं, तो उम्र भर के रोज़ों का सवाब हो जाएगा।

मसला 102. बाक़ायदगी से अय्यामे बैज़ (चांद की 13, 14, 15

---

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 709।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, भाग 2, हदीस 2125।

तारीख़) को रोज़े रखने से उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलता है।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू क़तादा रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के बीच की अवधि में हर माह तीन दिन (अय्यामे बैज़) के रोज़े रखना उम्र भर रोज़े रखने के बराबर है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : 3×12=36×10=360 रोज़े।

मसला 103. सफ़र में नफ़्ली रोज़ा रखना जाइज़ है।

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَصُوْمُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ . رَوَاهُ النَّسَائِي (صحيح)

हज़रत हमज़ा बिन उमर असलमी रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० से पूछा "क्या मैं सफ़र में रोज़ा रखूं?" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया "अगर चाहो तो रखो, चाहो न रखो।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।[2]

मसला 104. जिहाद के सफ़र में नफ़्ली रोज़ा रखने वाले को अल्लाह तआला सत्तर साल की दूरी के बराबर जहन्नम से दूर कर देते हैं।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 100 के तहत देखें।

मसला 105. सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखना रसूले अकरम सल्ल० को पसन्द था।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "सोमवार और जुमेरात को लोगों के कर्म अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं मैं चाहता हूं कि जब मेरे कर्म अल्लाह के यहां पेश किए जाएं तो मैं रोज़ा

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 620।
2. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, भाग 2, हदीस 2170।

रखे हुए हूं।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 106. यौमे अरफ़ा (9 ज़िल हिज्जा) का रोज़ा एक पिछला और एक अगला अर्थात दो साल के (छोटे) गुनाहों का कफ़्फ़ारा है। जबकि यौमे आशूरा (दस मुहर्रम) का पिछले एक साल के (सग़ीरा गुनाहों) का कफ़्फ़ारा है।

عَنْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ وَ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू क़तादा रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "मैं अल्लाह तआला से उम्मीद रखता हूं कि यौमे अरफ़ा के बदले में अल्लाह तआला एक पिछले और एक अगले साल के गुनाह माफ़ फ़रमाएंगे और यौमे आशूरा के रोज़े के बदले में पिछले एक साल के गुनाह माफ़ फ़रमाएंगे।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 107. केवल दस मुहर्रम का रोज़ा रखना मकरूह है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 130 के तहत देखें।

मसला 108. रसूले अकरम सल्ल० शाबान के महीने में बाक़ी सब महीनों से ज़्यादा रोज़े रखते थे।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं "मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को रमज़ान के अलावा किसी महीने पूरे रोज़े रखते नहीं देखा, न ही शाबान के अलावा किसी दूसरे महीने में कसरत से रोज़े रखते देखा है।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

स्पष्टीकरण : 15 शाबान को ख़ास तौर पर रोज़ा रखने की तमाम

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी भाग 1, हदीस 596।
2. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 620।
3. लुअलउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 711।

अहादीस अविश्वसनीय हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ सहीह अहादीस से साबित है वह यह कि उस महीने में हुज़ूरे अकरम कसरत से रोज़े रखते थे।

मसला 109. नफ़्ली रोज़े रखने में एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन रोज़ा रखने का तरीक़ा सबसे श्रेष्ठ है।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "हर माह तीन दिन के रोज़े रखो।" मैंने अर्ज़ किया "मुझमें इससे ज़्यादा ताक़त है।" रसूलुल्लाह सल्ल० बराबर मुझसे कम कराते रहे यहां तक कि आप सल्ल० ने फ़रमाया "एक दिन रोज़ा रखो एक दिन छोड़ा करो, यह अफ़ज़ल तरीन रोज़े हैं। मेरे भाई हज़रत दाऊद अलैहि० का यही तरीक़ा था।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 110. मुहर्रम के महीने में रोज़े रखने की श्रेष्ठता।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "रमज़ान के बाद सबसे श्रेष्ठ तहज्जुद की नमाज़ है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 111. सोमवार के रोज़े की श्रेष्ठता।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ فَقَالَ: «فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू क़तादा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० से सोमवार के रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्ल० ने फ़रमाया "इस दिन मैं पैदा किया गया और इसी दिन मुझ पर क़ुरआन नाज़िल होना शुरू

1. मंतक़ी अख़्बार, भाग 2, हदीस 2248।
2. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 610।

हुआ।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 112. ज़िल हिज्जा से पहले नौ रोज़े रखना मुस्तहब है।

मसला 113. हर माह कोई से तीन रोज़े रखना मुस्तहब है।

मसला 114. हर माह के पहले सोमवार और पहली दोनों जुमेरात के रोज़े रखना भी आप सल्ल० का मामूल मुबारक था।

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيْسَيْنِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. (صحيح)

नबी अकरम सल्ल० की पाक पत्नियों से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल० ज़िल हिज्जा के (पहले) नौ रोज़े और यौमे आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। और हर माह तीन रोज़े रखा करते हर माह का पहला सोमवार और जुमरातें। इसे नसाई ने रिवायत किया है।[2]

मसला 115. नफ़्ली रोज़े की नीयत दिन में ज़वाल से पहले किसी समय भी की जा सकती है बशर्तेकि कुछ खाया पिया न हो।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 35 के तहत देखें।

मसला 116. नफ़्ली रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 78 के तहत देखें।

मसला 117. नफ़्ली इबादत में सन्तुलन श्रेष्ठ है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 68 के तहत देखें।

मसला 118. सियाम अरबईन (लगातार चालीस रोज़ों का चिल्ला) सुन्नत रसूलुल्लाह सल्ल० से साबित नहीं।

---

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 624।
2. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, भाग 2, हदीस 2274।

الصِّيَامُ الْمَمْنُوْعُ وَ الْمَكْرُوْهُ

वर्जित और मक्रूह रोज़े

मसला 119. ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के रोज़े रखना मना हैं।

عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ . هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत उबैद रज़ि० कहते हैं मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० के साथ नमाज़े ईद अदा की। हज़रत उमर रज़ि० ने कहा "इन दो, दिनों के रोज़े रखने से नबी अकरम सल्ल० ने मना फ़रमाया है। पहला दिन जब तुम अपने रोज़े ख़त्म करो, दूसरा दिन जब तुम क़ुरबानी का गोश्त खाते हो।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 120. केवल जुमे के दिन का रोज़ा रखना मक्रूह है।

मसला 121. अगर कोई व्यक्ति अपने मामूल के मुताबिक़ जुमे का रोज़ा रखे तो जाइज़ है जैसे कोई व्यक्ति हर दूसरे या तीसरे दिन रोज़े रखने वाला है और किसी दिन जुमे का रोज़ा आ जाता है तो वह जाइज़ है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِن بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "कि जुमे की रात (जुमा और जुमेरात के बीच की रात) को क़यामुलैल के लिए मुक़र्रर न करो और न जुमे का दिन रोज़े के लिए ख़ास करो, हां अगर कोई व्यक्ति रोज़े रखने का आदी हो और उसमें जुमा आ जाए तो फिर जाइज़ है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

---

1. किताबुस्सोम अध्याय सोम यौमुल फ़ित्र।
2. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 626।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है "कोई आदमी केवल जुमे का रोज़ा न रखे अगर रखना चाहे तो एक दिन पहला या पिछला साथ मिलाकर रखे।" (अर्थात जुमेरात और जुमा का या जुमा और हफ़्ता का) इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 122. सोम व साल (अर्थात शाम के समय रोज़ा इफ़्तार न करना और कुछ खाए पिए बिना अगला रोज़ा शुरू कर देना) मक्रूह है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने सोम व साल से मना फ़रमाया तो एक आदमी ने अर्ज़ किया "या रसूलल्लाह सल्ल०! आप तो सोम व साल रखते हैं" आप सल्ल० ने फ़रमाया "तुममें मुझ जैसा कौन है मैं रात को सोता हूं, तो मुझे मेरा रब खिलाता है पिलाता भी है।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 123. रमज़ान शुरू होने से पहले इस्तक़बाल के तौर पर रोज़े रखना मना है।

मसला 124. अगर कोई व्यक्ति अपने पिछले मामूल के मुताबिक़ रोज़े रखता चला आ रहा है और वह दिन संयोग से रमज़ान से एक या दो रोज़े पहले आ गया तो कोई हरज नहीं।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

1. किताबुस्सोम अध्याय सोम यौमुल जुमा।
2. लुअलउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 671।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "रमज़ान से एक या दो रोज़ पहले कोई आदमी रोज़ा न रखे, अलबत्ता वह व्यक्ति जो अपने मामूल के मुताबिक़ रोज़े रखता आ रहा है वह रख सकता है।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 125. लगातार रोज़े रखना मना है।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَاللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुझे[2] फ़रमाया, ऐ अब्दुल्लाह! मुझे ख़बर मिली है कि तुम (हमेशा) दिन को रोज़ा रखते हो और रात को क़याम करते हो।" मैंने अर्ज़ किया "हां या रसूलल्लाह सल्ल०! मैं ऐसा ही करता हूं।" आप सल्ल० ने फ़रमाया "ऐसा मत करो, रोज़ा रखो भी छोड़ा भी करो। रात को क़याम भी करो और आराम भी करो, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक़ है, तुम्हारी आंख का तुम पर हक़ है, तुम्हारी पत्नी का तुम पर हक़ है, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक़ है, जिसने लगातार रोज़े रखे उसका कोई रोज़ा नहीं।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 126. अय्यामे तशरीक़ (अर्थात 11, 12, 13 ज़िल हिज्जा) के रोज़े रखना मना है। अलबत्ता जो हाजी क़ुरबानी न दे सके वह मिना में अय्यामे तशरीक़ के रोज़े रख सकता है।

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاَ: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत आइशा रज़ि० और इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि अय्यामे तशरीक़ में किसी आदमी को रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी गई सिवाए

1. लुअलउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 657।
2. मिश्कातुल मसाबीह लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 2045।

उस हाजी के, जो क़ुरबानी देने की ताक़त न रखता हो। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 127. हाजी को अरफ़ात में 9 ज़िल हिज्जा (यौमे अरफ़ा) का रोज़ा रखना मना है।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ شَكُّوْا فِيْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ ، وَ هُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत मैमूना रज़ि० से रिवायत है कि लोगों ने अरफ़ा के दिन नबी अकरम सल्ल० के रोज़े में शक किया, तो उन्होंने (अर्थात हज़रत मैमूना रज़ि०) ने आप सल्ल० के पास दूध भेजा, आप सल्ल० ने उस प्याले से दूध पिया। उस समय आप (मैदान अरफ़ात के) मौक़िफ़ में खड़े थे और लोग आपको देख रहे थे। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 128. आधे शाबान के बाद रोज़े नहीं रखने चाहिएं।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفُ شَعْبَانَ فَلَا تَصُوْمُوْا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "कोई औरत अपने पति की मौजूदगी में उसकी इज़ाजत के बिना रोज़ा न रखे।" इसे तर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[3]

मसला 129. औरत का अपने पति की इजाज़त के बिना नफ़्ली रोज़ा रखना मना है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "कोई औरत अपने पति की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बिना नफ़्ली रोज़ा न रखे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[4]

---

1. किताबुस्सोम अध्याय सियाम अय्यामे तशरीक़।
2. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 687।
3. सहीह सुनन तिर्मिज़ी लिल अलबानी, हदीस 590।
4. मुख़्तसर सहीह बुख़ारी, लिल ज़ुबैदी, हदीस 1860।

मसला 130. केवल आशूरा (दस मुहर्रम) का रोज़ा रखना मक्रूह है नौ और दस मुहर्रम या दस और ग्यारह मुहर्रम दो दिन के रोज़े रखने चाहिएं।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने आशूरा (दस मुहर्रम) का रोज़ा रखा और लोगों को भी रखने का हुक्म दिया। लोगों ने अर्ज़ किया "या रसूलल्लाह! दस मुहर्रम तो यहूद व नसारा के निकट बड़ी महानता का दिन है।" आप सल्ल० ने फ़रमाया "अच्छा अगले साल हम इन्शाअल्लाह (दस मुहर्रम के साथ) नौ मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे।" लेकिन अगले साल आने से पहले ही रसूलुल्लाह सल्ल० दुनिया से चले गए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : यौमे आशूरा (10 मुहर्रम) की श्रेष्ठता की वजह यह है कि जब रसूले अकरम सल्ल० मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, इस रोज़ अल्लाह तआला ने मूसा अलैहि० को फ़िरऔन पर ग़लबा प्रदान फ़रमाया था, अतः हम शुक्राने के तौर पर इस दिन का रोज़ा रखते हैं। रसूले अकरम सल्ल० को यह बात मालूम हुई तो आप सल्ल० ने फ़रमाया, "यहूदियों के मुक़ाबले हम मूसा अलैहि० के ज़्यादा क़रीब हैं।" और मुसलमानों को इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मगर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो आप सल्ल० ने फ़रमाया, "अब जो चाहे 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे, जो न चाहे न रखे।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 131. केवल हफ़्ते के दिन का रोज़ा रखना मक्रूह है।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُوْدَ عِنَبَةٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهَا . رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

1. किताबुस्सियाम अध्याय सोम यौम आशूरा।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुसर अपनी बहन सम्माअ रज़ि० से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, "हफ़्ते का रोज़ा सिवाए फ़र्ज़ रोज़े के न रखो, अगर खाने को कोई चीज़ न मिले तो अंगूर की लकड़ी या किसी पेड़ की छाल ही चबा लो।" इसे इब्ने ख़ुज़ैमा ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : हफ़्ता चूंकि अहले किताब की ईद का दिन था अतः आप ने विरोध के लिए हफ़्ते के साथ जुमा या इतवार का दिन मिलाकर रोज़ा रखने का हुक्म दिया।

1. इब्ने ख़ुज़ैमा लिल दकतूर मुहम्मद मुस्तफ़ा आज़मी, भाग 4, हदीस 2164।

اَلْاِعْتِكَافُ

ऐतिकाफ़ के मसाइल

मसला 132. ऐतिकाफ़ सुन्नते मोअक्किदा किफ़ाया है और उसकी अवधि दस दिन है।

मसला 133. हर मुसलमान को रमज़ानुल मुबारक में कम से कम एक बार क़ुरआन पाक की तिलावत मुकम्मल करनी चाहिए।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं नबी अकरम सल्ल० के सामने हर साल (रमज़ान में) एक बार क़ुरआन पढ़ा जाता। जिस साल आप सल्ल० ने वफ़ात पाई उस साल आप सल्ल० के सामने दोबारा क़ुरआन मजीद ख़त्म किया गया। इसी तरह हर साल आप दस दिन का ऐतिकाफ़ फ़रमाते लेकिन वफ़ात के साल आप सल्ल० ने बीस दिन का ऐतिकाफ़ फ़रमाया। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 134. ऐतिकाफ़ के लिए फ़ज्र की नमाज़ के बाद ऐतिकाफ़ की जगह बैठना मसनून है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ. (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि "रसूलुल्लाह सल्ल० जब ऐतिकाफ़ में बैठने का इरादा फ़रमाते तो फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर मौतकिफ़ में दाख़िल होते।" इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

---

1. मिश्कातुल मसाबीह, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 2099।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 2152।

मसला 135. ऐतिकाफ़ करने वाले की पत्नी मुलाक़ात के लिए आ सकती है और ऐतिकाफ़ करने वाला पत्नी को घर तक छोड़ने के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है।

عَنْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत सफ़िया रज़ि० फ़रमाती हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ऐतिकाफ़ में थे, मैं रात को नबी अकरम सल्ल० से मिलने आई और बातें करती रही, वापस जाने के लिए उठी तो नबी अकरम सल्ल० मुझे छोड़ने के लिए उठकर खड़े हो गए। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 136. मर्दों को ऐतिकाफ़ मस्जिद में ही करना चाहिए।

मसला 137. रमज़ान में ऐतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है।

मसला 138. हालते ऐतिकाफ़ में बीमार का हाल पूछने के लिए जाना, जनाज़े में शरीक होना, पत्नी से संभोग करना, बशरी तक़ाज़ों के बिना ऐतिकाफ़ की जगह से बाहर जाना मना है।

عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ. السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَبُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. (حسن)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं "ऐतिकाफ़ करने वाले के लिए सुन्नत यह है कि वह बीमार का हाल पूछने को न जाए, जनाज़े में शरीक न हो, पत्नी को न छुए और न उससे संभोग करे, ऐतिकाफ़ की जगह से ऐसे ज़रूरी काम (अर्थात पेशाब पाख़ाना, फ़र्ज़ ग़ुस्ल आदि) के बिना न निकले, जिसके बिना चारा ही न हो, ऐतिकाफ़ रोज़े के साथ ही होता है और जामा मस्जिद में होता है।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 139. औरतों को भी ऐतिकाफ़ करना चाहिए।

---

1. मंतक़ी अख़्बार, भाग 1, हदीस 2280।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 2160।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० रमज़ानुल मुबारक का आख़िरी अशरा (21 से 30 रमज़ानुल मुबारक) ऐतिकाफ़ फ़रमाया करते थे यहां तक कि आप सल्ल० ने वफ़ात पाई, आपके बाद आपकी पाक पत्नियां रज़ि० ने ऐतिकाफ़ किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 140. औरतों को ऐतिकाफ़ अपने घर में करना चाहिए।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ **لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَ بُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ** . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "औरतों को मस्जिद में जाने से मना करो लेकिन (नमाज़ पढ़ने के लिए) उनके घर मस्जिद से बेहतर हैं।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 140-1. अगर किसी को ऐतिकाफ़ के लिए दस दिन न मिल सकें तो जितने दिन मिलें उतने दिनों का ही ऐतिकाफ़ कर लेना चाहिए। यहां तक कि एक रात का ऐतिकाफ़ भी सही है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ قَالَ : **أَوْفِ بِنَذْرِكَ** . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ि० ने नबी अकरम सल्ल० से पूछा "मैंने ज़माना जाहिलियत में मस्जिदे हराम में एक रात का ऐतिकाफ़ करने की नज़्र मानी थी (पूरी करूं या न करूं?)" आप सल्ल० ने फ़रमाया "अपनी नज़्र पूरी कर।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[3]

---

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 633।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 530।
3. किताबुस्सोम अध्याय ऐतिकाफ़।

فَضْلُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

लैलतुल क़द्र की श्रेष्ठता और उसके मसाइल

मसला 141. लैलतुल क़द्र में उपासना विगत गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَ إِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम किया उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 142. लैलतुल क़द्र के सौभाग्य से महरूम रहने वाला बहुत ही बदनसीब है।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ كُلُّ مَحْرُوْمٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. (حسن)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि रमज़ान आया, तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "यह जो महीना तुम पर आया है उसमें एक रात ऐसी है जो (क़द्र व मनज़िलत के हिसाब से) हज़ार महीनों से बेहतर है जो व्यक्ति उस (का सौभाग्य हासिल करने) से महरूम रहा वह हर भलाई से महरूम रहा। और लैलतुल क़द्र के सौभाग्य से केवल भाग्यहीन ही महरूम किया जाता है।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 143. लैलतुल क़द्र रमज़ान के आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में

1. सहीह बुख़ारी किताबुस्सोम अध्याय फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र।
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1333।

तलाश करनी चाहिए।

عنْ عائشة رَضِي الله عنها قالَتْ: قال رَسُوْلُ الله ﷺ: «تحرَّوْا ليْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتر مِن العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان» رواهُ البُخاريُّ.

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "रमज़ान के आख़िरी अशरे (दस दिन) की ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश करो।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 144. रमज़ान के आख़िरी अशरे में बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए।

मसला 145. रमज़ान के आख़िरी अशरे में अपने घर वालों को उपासना के लिए ख़ुसूसी तर्ग़ीब दिलाना मसनून है।

عَنْ عائِشَةَ رَضي اللهُ عَنْها قالَتْ: كانَ رَسُوْلُ الله ﷺ يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ ما لا يجْتهِدُ فِي غَيْرِهِ. رواهُ ابْنُ ماجة (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं "रसूलुल्लाह सल्ल० रमज़ान के आख़िरी अशरे में बाक़ी दिनों की निस्बत उपासना में बहुत ज़्यादा कोशिश फ़रमाते थे।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

عنْ عائِشة رَضِي الله عنها قالَتْ: كانَ رَسُوْلُ الله ﷺ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَاحيى لَيْلَهُ وأيْقظَ أهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं "जब रमज़ान के आख़िरी दस दिन शुरू होते तो रसूलुल्लाह सल्ल० (उपासना के लिए) तैयार हो जाते। रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

मसला 146. आख़िरी अशरे की तमाम रातों में जागने का समय न पाने वालों के लिए लैलतुल क़द्र का भरपूर सवाब हासिल करने के लिए दो अहम अहादीस।

---

1. किताबुस्सोम अध्याय तहरी लैलतुल क़द्र।
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1429।
3. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 730।

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (صحيح)

हज़रत अबूज़र रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जिसने (रमज़ान में) इमाम के वापस होने तक इमाम के साथ क़याम किया (अर्थात नमाज़ तरावीह जमाअत से अदा की) उसके लिए सारी रात क़याम का सवाब लिखा जाएगा।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान रज़ि० कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है जिसने इशा की नमाज़ जमाअत से अदा की उसने मानो आधी रात क़याम किया और जिसने (नमाज़ इशा जमाअत से अदा करने के बाद) सुबह की नमाज़ जमाअत से अदा की उसने मानो सारी रात क़याम किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 147. रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह सल्ल० कसरत से तिलावत क़ुरआन और अल्लाह की राह में ख़र्च फ़रमाया करते थे।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَ كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَ كَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِىْ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० लोगों के साथ भलाई करने में बहुत दानी थे, लेकिन रमज़ान में जब जिब्रील अलैहि० आपसे मिलते तो आप और भी ज़्यादा दानी हो जाते। रमज़ान में हज़रत जिब्रील अलैहि० हर रात आपसे मिला करते और नबी

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी भाग 1, हदीस 1646।
2. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी हदीस 324।

अकरम सल्ल० रमज़ान गुज़रने तक उन्हें क़ुरआन मजीद सुनाते। जब जिब्रील अलैहि० आपसे मिलते तो आपकी दानवीरता तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा बढ़ जाती।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 148. लैलतुल क़द्र में यह दुआ पढ़नी मसनून है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتَ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ: «قُوْلِي: اللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है मैंने पूछा "या रसूलल्लाह सल्ल०! अगर मैं शबेक़द्र पा लूं तो कौन सी दुआ पढ़ूं?" नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया, कहो "या अल्लाह! तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करना पसन्द करता है, अतः मुझे माफ़ फ़रमा।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह बुख़ारी किताबुस्सोम।
2. मिश्कातुल मसाबीह, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 2091।

صَدَقَةُ الْفِطْرِ

सदक़ा फ़ित्र के मसाइल

मसला 149. सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ है।

मसला 150. सदक़ा फ़ित्र का मक़सद रोज़े की हालत में होने वाले गुनाहों से स्वयं को पाक करना है।

मसला 151. सदक़ा फ़ित्र नमाज़े ईद से पहले अदा करना चाहिए वरना आम सदक़ा शुमार होगा।

मसला 152. सदक़ा फ़ित्र के हक़दार वही लोग हैं जो ज़कात के हक़दार हैं।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ. (صحيح)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने सदक़ा फ़ित्र रोज़ेदार को बेहूदगी और गन्दी बातों से पाक करने के लिए और मोहताजों के खाने का इन्तिज़ाम करने के लिए फ़र्ज़ किया है। जिसने नमाज़े ईद से पहले अदा किया उसका सदक़ा फ़ित्र अदा हो गया और जिसने नमाज़े ईद के बाद अदा किया उसका सदक़ा फ़ित्र आम सदक़ा शुमार होगा। इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 153. सदक़ा फ़ित्र की मात्रा एक साअ़ है, जो पौने तीन सैर या ढाई किलोग्राम के बराबर है।

मसला 154. सदक़ा फ़ित्र हर मुसलमान ग़ुलाम हो या आज़ाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, रोज़ेदार हो या ग़ैर रोज़ेदार, साहिबे निसाब हो या न हो सब पर फ़र्ज़ है।

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1480।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने रमज़ान का सदक़ा एक साअ़ खजूर या एक साअ़ जौ, ग़ुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटे बड़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : जिस व्यक्ति के पास एक दिन रात की ख़ूराक मौजूद न हो वह सदक़ा अदा करने से अपवाद है।

मसला 155. सदक़ा फ़ित्र ग़ल्ले की सूरत में देना बेहतर है।

मसला 156. गेहूं, चावल, जौ, खजूर, मुनक़्क़ा या पनीर में से जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो, वही देनी चाहिए।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अबू सईद रज़ि० फ़रमाते हैं "कि हम सदक़ा फ़ित्र एक साअ ग़ल्ला या एक साअ खजूर या एक साअ जौ या एक साअ मुनक़्क़ा या एक साअ पनीर दिया करते थे।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 157. सदक़ा फ़ित्र अदा करने का समय आख़िरी रोज़ा इफ़्तार करने के बाद शुरू होता है, लेकिन ईद से एक या दो दिन पहले अदा किया जा सकता है।

मसला 158. सदक़ा फ़ित्र घर के संरक्षक को घर के तमाम लोगों पत्नी, बच्चों और मुलाज़िमों की तरफ़ से अदा करना चाहिए।

عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِي عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

---

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात अध्याय सदक़तुल फ़ित्र।
2. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 572।

हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ि० घर के छोटे बड़े तमाम लोगों की तरफ से सदक़ा फित्र देते थे यहां तक कि मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे और इब्ने उमर रज़ि० उन लोगों को देते थे जो क़ुबूल करते और ईदुल फ़ित्र से एक या दो दिन पहले देते थे। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

1. किताबुज़्ज़कात, अध्याय सदक़तुल फ़ित्र।

صَــــلاةُ الْعِيْـــدِ

नमाज़ ईद के मसाइल

मसला 159. ईदुल फ़ित्र की नमाज़ के लिए जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना सुन्नत है।

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري.

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० फ़रमाते हैं कि "रसूलुल्लाह सल्ल० ईदुल फ़ित्र के दिन खजूरें खाए बिना ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे और नबी अकरम सल्ल० खजूरें ताक (अर्थात 1, 3, 5 या 7) खाते थे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 160. नमाज़ ईद के लिए पैदल जाना और वापस आना सुन्नत है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَ يَرْجِعُ مَاشِيًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं नबी अकरम सल्ल० ईदगाह पैदल जाते और पैदल ही वापस तशरीफ़ लाते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 161. ईदगाह जाने और आने का रास्ता बदलना सुन्नत है।

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० फ़रमाते हैं "नबी करीम सल्ल० ईद के रोज़ ईदगाह में आने जाने का रास्ता तब्दील फ़रमाया करते थे।" इसे

1. किताबुल ईदैन अध्याय अकल यौमुल फ़ित्र क़ब्ल खुरूज।
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1071।

बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 162. नमाज़ ईद बस्ती से बाहर खुले मैदान में पढ़ना सुन्नत है।

मसला 163. नमाज़ ईद के लिए औरतों को भी ईदगाह में जाना चाहिए।

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत उम्मे अतिया रज़ि० से रिवायत है कि "रसूलुल्लाह सल्ल० ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम हैज़ वाली और पर्दा नशीन (अर्थात तमाम) औरतों को ईदगाह में लाएं ताकि वह मुसलमानों के साथ नमाज़ और दुआ में शिरकत करें। अलबत्ता हैज़ वाली औरतें नमाज़ न पढ़ें।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 146. नमाज़ ईद के लिए अज़ान है न इक़ामत।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ि० कहते हैं "मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ एक दो बार नहीं कई बार ईदैन की नमाज़ अज़ान और इक़ामत के बिना पढ़ी।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

मसला 165. ईदैन की नमाज़ में पहले नमाज़ और ख़ुतबा देना मसनून है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَ أَبُوْبَكْرٍ وَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि० और हज़रत उमर फ़ारुक़ रज़ि० नमाज़ ईदैन,

1. किताबुल ईदैन अध्याय मन ख़ालिफ़ तरीक़ इज़ा रजा यौमुल ईद।
2. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 511।
3. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 427।

ख़ुतबा से पहले अदा फ़रमाते थे। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 166. ईदैन की नमाज़ में बारह तकबीरें मसनून हैं पहली रकअत में क़िरात से पहले सात और दूसरी रकअत में क़िरात से पहले पांच तकबीरें कहनी चाहिएं।

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० कहते हैं "मैंने हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० के साथ ईदुल फ़ित्र व ईदुलअज़हा दोनों की नमाज़ पढ़ीं। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने पहली रकअत में क़िरात से पहले सात तकबीरें और दूसरी रकअत में क़िरात से पहले पांच तकबीरे कहीं।" इसे मालिक ने रिवायत किया है।[2]

मसला 167. नमाज़ ईद की ज़ाइद तकबीरों में हाथ उठाने चाहिएं।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (حسن)

हज़रत वाईल बिन हुजर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० हर तकबीर के साथ हाथ उठाते थे। इसे अहमद ने रिवायत किया है।[3]

मसला 168. ख़ुतबा के दौरान ख़तीब का थोड़ी देर बैठना मसनून है।

عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيْدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा फ़रमाते हैं ईदैन में इमाम के दो ख़ुतबे पढ़ना और बैठकर उन्हें अलग करना सुन्नत

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 1, हदीस 509।
2. किताबुस्सलात, अध्याय माजा फ़ी तकरीम वल क़ुरआन फ़ी सलातुल ईदैन।
3. अरवाहुल ग़लील, लिल अलबानी, भाग 3, हदीस 641।

है। इसे शाफ़ई ने रिवायत किया है।[1]

मसला 169. नमाज़ ईद से पहले या बाद कोई (नफ़िल या सुन्नत) नमाज़ नहीं।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि "नबी अकरम सल्ल० ने ईदुलअज़हा या ईदुल फ़ित्र के दिन (घर से निकलने) दो रकअत नमाज़ ईद अदा फ़रमाई और उससे पहले या बाद में कोई नमाज़ नहीं पढ़ी।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 170. ईदैन की नमाज़ देर से पढ़ना नापसन्दीदा है।

मसला 171. ईदुल फ़ित्र की नमाज़ का समय इशराक़ की नमाज़ का समय है।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيْدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ وَقَالَ. إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ. (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ि० से रिवायत है कि वह स्वयं ईदुल फ़ित्र या ईदुलअज़हा की नमाज़ के लिए लोगों के साथ ईदगाह रवाना हुए तो इमाम के देर करने पर नापसन्दगी व्यक्त की और फ़रमाया "हम तो इस समय नमाज़ पढ़कर फ़ारिग़ भी हो जाया करते थे और वह इशराक़ का समय था।" इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[3]

मसला 172. ईदुल अज़हा की नमाज़ जल्द और ईदुल फ़ित्र की नमाज़ निसबतन देर से पढ़ना मसनून है।

عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ: «عَجِّلِ الأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

---

1. किताबुस्सलात, अध्याय फ़ी सलातुल ईदैन, हदीस 463।
2. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 430।
3. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1005।

हज़रत अबुल हुवैरिस रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने नजरान के गवर्नर अम्र बिन हज़म रज़ि० को लिखित तौर पर यह हिदायत फ़रमाई ''ईदुलअज़हा की नमाज़ जल्दी पढ़ लो और ईदुल फ़ित्र की नमाज़ देरी से पढ़ो और लोगों को ख़ुतबा में नेकी की नसीहत करो।'' इसे शाफ़ई ने रिवायत किया है।[1]

मसला 173. ईदगाह आते जाते अधिकता से तकबीरें पढ़ना सुन्नत है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلَّى حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ईद के दिन सुबह सुबह सूरज निकलते ही ईदगाह तशरीफ़ ले जाते और ईदगाह तक तकबीरें कहते जाते। फिर ईदगाह में भी तकबीरें कहते रहते यहां तक कि जब इमाम ख़ुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाता तो तकबीरें पढ़ना छोड़ देते। इसे शाफ़ई ने रिवायत किया है।[2]

मसला 174. मसनून तकबीर के शब्द दर्जे जेल हैं।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० इमाम तशरीक़ (11-12-13 ज़िल हिज्जा) में यह तकबीरें पढ़ा करते अल्लाहुअकबर अल्लाहुअकबर लाइलाहाइल्लल्लाहु वल्लाहुअकबर अल्लाहुअकबर वलिल्लाहिलहम्द। इसे इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है।[3]

मसला 175. ईदुल फ़ित्र की नमाज़ के लिए जाने से पहले और ईदुलअज़हा की नमाज़ पढ़ने के बाद कोई चीज़ खाना सुन्नत है।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

---

1. किताबुस्सलात, अध्याय फ़ी सलातुल ईदैन, हदीस 442।
2. किताबुस्सलात, अध्याय फ़ी सलातुल ईदैन, हदीस 445।
3. अरवाहुल ग़लील, लिल अलबानी 3/125।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरीदा रज़ि० अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्ल० ईदुल फ़ित्र के मौक़े पर नमाज़ के लिए जाने से पहले ज़रूर कुछ खा लिया करते और ईदुल अज़हा के मौक़े पर नमाज़े ईद पढ़ने से पहले कोई चीज़ नहीं खाया करते थे। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 176. अगर जुमे के रोज़ ईद आ जाए तो दोनों पढ़नी बेहतर हैं लेकिन ईद पढ़ने के बाद अगर जुमे की बजाए केवल नमाज़ ज़ोहर अदा की जाए तो भी सही है।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : عِيْدَانِ اجْتَمَعَ فِى يَوْمِكُمْ هٰذَا فَمَنْ شَآءَ أَجْزَءَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَ إِنَّا مُجَمِّعُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "तुम्हारे आज के दिन में दो ईदें (एक ईद दूसरा जुमा) इकट्ठी हो गई हैं जो चाहे उसके लिए जुमे के बदले ईद ही काफ़ी है लेकिन हम दोनों (अर्थात जुमा और ईद) अदा करेंगे। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 177. बादल की वजह से शव्वाल का चांद दिखाई न दे और रोज़ा रख लेने के बाद मालूम हो जाए कि चांद नज़र आ चुका है तो रोज़ा खोल देना चाहिए।

मसला 178. अगर चांद की ख़बर ज़वाल से पहले मिले तो नमाज़े ईद इसी रोज़ अदा कर लेनी चाहिए। अगर ज़वाल के बाद ख़बर मिले तो नमाज़े ईद दूसरे रोज़ अदा की जाएगी।

عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا إِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَشْهَدُوْنَ أَنَّهُمْ رَأَوُ الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ : أَنْ يُفْطِرُوْا ، وَ إِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلَّاهُمْ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد (صحيح)

हज़रत अबू उमैर बिन अनस रज़ि० अपने चचाओं से जो कि असहाब

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 447।
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1083।

नबी में से थे, रिवायत करते हैं कि कुछ सवार नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए और गवाही दी कि उन्होंने पिछले दिन (शव्वाल का) चांद देखा है, अतएव रसूले अकरम सल्ल० ने सहाबा किराम रज़ि० को हुक्म दिया वह रोज़ा तोड़ दें और फ़रमाया "कल सुबह (नमाज़े ईद के लिए) ईदगाह आएं।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 179. अगर किसी को ईद की नमाज़ न मिल सके या बीमारी की वजह से ईदगाह न जा सके तो इसे दो रकअत अकेले अदा कर लेना चाहिए।

मसला 180. गांव में नमाज़ ईद पढ़नी चाहिए।

أَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي غَنِيَّةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيْهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيْرِهِمْ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُوْنَ فِي الْعِيْدِ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० ने अपने ग़ुलाम इब्ने अबी ग़निया को ज़ाविया गांव में नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया तो इब्ने अबी गुनिया ने हज़रत अनस रज़ि० के घर वालों और बेटों को जमा किया और सब ने शहर वालों की तकबीर की तरह तकबीर और नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ी।[2]

इकरिमा रज़ि० ने कहा "गांव के लोग ईद के रोज़ जमा हों और दो रकअत नमाज़ पढ़ें जिस तरह इमाम पढ़ता है।" और अता रहिम० ने कहा "जब किसी की नमाज़े ईद छूट जाए तो वह दो रकअत नमाज़ अदा कर ले।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 181. ईदुल अज़हा की नमाज़ पढ़ने और ख़ुतबा सुनने के बाद ताक़त रखने वाले पर क़ुर्बानी सुन्नत मोअक्किदा है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً لأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَحْضُرْ مُصَلاَّنَا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ. (حسن)

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1026।
2. किताबुल ईदैन।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जो आदमी क़ुर्बानी की ताक़त रखता हो फिर भी क़ुर्बानी न करे वह हमारी मस्जिद में न आए।" इसे हाकिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 182. क़ुर्बानी करने के शिष्टाचार।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ. قَالَ: رَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا وَيَقُوْلُ. بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने दो सफेद और काले रंग के और सींगों वाले मैंढे ज़बह किए। मैंने देखा कि आप सल्ल० अपना पांव उसकी गर्दन पर रखे हुए थे और "बिस्मिल्लाह अल्लाहुअकबर" पढ़कर अपने हाथ से ज़बह फ़रमा रहे थे।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارٰى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं नबी अकरम सल्ल० ने हुक्म दिया है कि "(जब क़ुर्बानी करो तो) छुरियां खूब तेज़ करो। जानवर से छिपाकर रखो। और जब ज़बह करने लगो तो जल्दी ज़बह करो।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[3]

मसला 183. एक साल की उम्र का भेड़ (या बकरी) का बच्चा क़ुर्बानी के लिए जाइज़ है।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. (صحيح)

हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ि० फ़रमाते हैं हमने रसूले अकरम सल्ल० के साथ भेड़ के एक साल के बच्चे की क़ुर्बानी दी। इसे नसाई ने

---

1. तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1079।
2. मिश्कातुल मसाबीह, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1453।
3. तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 1083।

रिवायत किया है।[1]

मसला 184. गाय या ऊंट की क़ुर्बानी में सात आदमी शरीक हो सकते हैं।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत जाबिर रज़ि० फ़रमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि एक ऊंट या एक गाय में सात हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 185. घर के संरक्षक की तरफ़ से दी गई क़ुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी है।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ. (صحيح)

हज़रत अता बिन यसार रह० कहते हैं मैंने अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि० से मालूम किया कि नबी अकरम सल्ल० के ज़माने में तुम लोग क़ुर्बानी किस तरह किया करते थे तो उन्होंने कहा कि रिसालत काल में हर आदमी अपनी तरफ से अपने घर वालों की तरफ से एक ही क़र्बानी किया करता था। इसे इब्ने माजा और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[3]

मसला 186. ईदुल अज़हा की नमाज़ से पहले अगर किसी ने जानवर ज़बह कर दिया तो वह क़ुर्बानी शुमार नहीं होगी

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ : «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं नबी अकरम सल्ल० ने ईदुल अज़हा के रोज़ फ़रमाया "जिसने नमाज़ से पहले जानवर ज़बह कर दिया। उसे दोबारा

---

1. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, भाग 3, हदीस 4080।
2. नैलुल औतार, किताबुल हज।
3. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 2546।

क़ुर्बानी देनी चाहिए।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 187. जिसने क़ुर्बानी देना हो वह ज़िल हिज्जा का चांद देखने के बाद क़ुर्बानी करने तक नाखून और बाल आदि न काटे।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَا بَشَرِهِ شَيْئًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० कहती हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जब कोई आदमी ज़िल हिज्जा की दसवीं (ईदुलअज़हा) को क़ुर्बानी देने का इरादा रखता हो तो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल न काटे और न ही नाख़ून काटे।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 188. क़ुर्बानी का गोश्त जमा करना जाइज़ है।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : «كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत जाबिर रज़ि० फ़रमाते हैं कि हम क़ुर्बानी का गोश्त मिना में तीन दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। बाद में रसूलुल्लाह सल्ल० ने हमें रुखसत दे दी और फ़रमाया "खाओ जमा करके भी रखो।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

मसला 189. क़ुर्बानी से पहले क़ुर्बानी के जानवर को किसी कब्र या मज़ार का तवाफ़ करवाना सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 190. नमाज़े ईद के बाद गले मिलना सुन्नत से साबित नहीं।

1. लुअलुउ वल मरजान, भाग 2, हदीस 1282।
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, भाग 1, हदीस 2548।
3. लुअलुउ वल मरजान, भाग 2, हदीस 1289।

أَلْأَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ فِى الصَّوْمِ

रोज़ों के बारे में ज़ईफ़ और मौज़ूअ अहादीस

(١) «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَادَى الْجَلِيْلُ رِضْوَانَ خَازِنُ الْجِنَانِ فَيَقُوْلُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَفِيْهِ: أَمَرَهُ بِفَتْحِ الْجَنَّةِ وَأُمِرَ مَالِكٌ بِتَغْلِيْقِ النَّارِ».

"रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह तआला जन्नत के निगरां फ़रिश्ता "रिज़वान" को पुकारता है तो वह कहता (या अल्लाह) मैं हाज़िर हूं, अल्लाह तआला उसे जन्नत खोलने का हुक्म देते हैं जहन्नम के निगरां फ़रिश्ते "मालिक" को जहन्नुम बन्द करने का हुक्म देते हैं।"

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ (गढ़ी हुई) है।

(٢) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَقَدْ أَهَلَّ رَمَضَانُ: «لَوْ عَلِمَ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُوْنَ رَمَضَانُ السَّنَةَ كُلَّهَا»

"रमज़ान का चांद उदय होने पर नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया "अगर बन्दे रमज़ान की श्रेष्ठता जान लें तो सारा साल रमज़ान जैसा रहने की इच्छा करने लगेंगे।"

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है।

(٣) «إِذَا كَانَ [أَوَّلُ -٣] لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، نَظَرَ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ الصِّيَامِ، وَإِذَا نَظَرَ اللهُ إِلَى عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ».

"रमज़ान की पहली तीन रातों में अल्लाह तआला रोज़ेदार लोगों पर नज़र फ़रमाता है और जब अल्लाह किसी बन्दे पर नज़र फ़रमाता है तो उसे अज़ाब नहीं करता।"

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है।

(٤) «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِتَارِكٍ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ صَبِيْحَةَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ».

"अल्लाह तआला रमज़ान की पहली सुबह ही तमाम मुसलमानों को बख़्श देता है।

स्पष्टीकरण : इसकी सनद में एक रावी झूठा है।

(५) «إنَّ لله تَبَارَكَ وتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ عِنْد الإفْطَارِ أَلْفَ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ».

"रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तआला रोज़ाना इफ़्तार के समय दस लाख आदमियों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है।

(٦) «صُومُوا تَصِحُّوا» "रोज़ा रखो स्वस्थ रहो।"

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ (मन गढ़त) है।

(٧) «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ».

"हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ है।

(٨) «ثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُونَ عَنْ نَعِيمِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ: الْمُفْطِرُ، وَالْمُتَسَحِّرُ، وَصَاحِبُ الضَّيْفِ، وَثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُونَ عَنْ سُوءِ الْخُلُقِ: الْمَرِيضُ، وَالصَّائِمُ، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ».

"तीन आदमियों से खाने पीने की नेमतों का सवाल नहीं होगा। 1. इफ़्तार करने वाला 2. सेहरी खाने वाला 3. मेज़बान, तीन आदमियों से बद अख़्लाकी का हिसाब नहीं लिया जाएगा। 1. मरीज़ 2. रोज़ेदार 3. न्याय करने वाले हाकिम।"

स्पष्टीकरण : इस हदीस की सनद में एक रावी हदीसें गढ़ कर रखता है।

(٩) «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ».

"जिसने हलाल रोज़ी से रोज़ा इफ़्तार करवाया उसके लिए फ़रिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं।

स्पष्टीकरण : यह हदीस निराधार है।

(١٠) «إنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى الْحَفَظَةِ: أَنْ لَا تَكْتُبُوا عَلَى صُوَّامِ عَبِيدِي بَعْدَ الْعَصْرِ سَيِّئَةً».

"अल्लाह तआला किरामन कातिबीन को हुक्म देते हैं कि मेरे रोज़ेदार बन्दों के असर के बाद के गुनाह न लिखे जाएं।"

स्पष्टीकरण : इस हदीस की सनद में एक रावी नाक़ाबिले भरोसा है।

(١١) «مَنْ أَفْطَرَ عَلَى تَمْرَةٍ مِنْ حَلَالٍ زِيدَ فِي صَلَاتِهِ أَرْبَعُمِائَةِ صَلَاةٍ»

"जिसने हलाल रिज़्क़ की खजूर से रोज़ा इफ़्तार किया उसकी नमाज़ों में चार सौ नमाज़ों की वृद्धि की जाएगी।"

स्पष्टीकरण : इस हदीस की सनद में एक रावी हदीसें गढ़ा करता था।

(12) «خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ وَيَنْقُضْنَ الْوُضُوْءَ: الْكِذْبُ، وَالنَّمِيْمَةُ، وَالْغِيْبَةُ، وَالنَّظْرُ بِشَهْوَةٍ، وَالْيَمِيْنُ الْكَاذِبَةُ».

"पांच चीज़ें रोज़ेदार की वूज़ू तोड़ देती हैं : 1. झूठ, 2. चुगली 3. ग़ीबत 4. वासना की नज़र 5. झूठी क़सम।"

स्पष्टीकरण : इस हदीस की सनद में एक रावी झूठा है।

(13) «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَلْيُهْدِ بَدَنَةً. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، الْمَسَاكِيْنَ»

"जिसने रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ा वह एक ऊंट की एक क़ुर्बानी दे, जो क़ुर्बानी न दे सके वह तीस साअ (अर्थात 75 किलोग्राम) खजूरें मिसकीनों में तक़सीम करे।"

स्पष्टीकरण : इस हदीस में एक रावी झूठा है।

(14) «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا عُذْرٍ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُوْمَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا، وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ سِتُّوْنَ، وَمَنْ أَفْطَرَ ثَلَاثًا كَانَ عَلَيْهِ تِسْعُوْنَ يَوْمًا».

"जिसने रमज़ान का एक रोज़ा बिला शरई कारण छोड़ा वह उसके बदले में तीस रोज़े रखे। जिसने दो रोज़े छोड़े वह साठ रोज़े रखे और जिसने तीन रोज़े छोड़े वह नव्वे दिन के रोज़े रखे।"

स्पष्टीकरण : यह हदीस बे सबूत है।

(15) «صُمِ الْبِيْضَ، أَوَّلُ يَوْمٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ آلَافِ سَنَةٍ وَالْيَوْمُ الثَّانِي يَعْدِلُ عَشْرَةَ آلَافِ سَنَةٍ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ يَعْدِلُ عِشْرِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ».

"अय्यामे बैज़ (चांद की 13, 14 15 तारीख़ के दिन) के रोज़े रखो पहले दिन के रोज़े का सवाब तीन हज़ार के साल के बराबर है। दूसरे दिन का सवाब दस हज़ार साल के बराबर है और तीसरे दिन का सवाब बीस हज़ार साल के बराबर है।"

स्पष्टीकरण : इस हदीस की सनद में एक रावी हदीसें गढ़ा करता था।

(16) «رَجَبُ شَهْرُ اللهِ، وَشَعْبَانُ شَهْرِي، وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي، فَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبَ يَوْمَيْنِ، فَلَهُ مِنَ الأَجْرِ ضِعْفَانِ، وَوَزْنُ كُلِّ ضِعْفٍ مِثْلُ جِبَالِ الدُّنْيَا».

"रजब अल्लाह का महीना है, शाअबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है जिसने रजब के रोज़े रखे उसके लिए दुगना अज्र

है और एक गुना वज़न दुनिया के एक पहाड़ के बराबर है।

नोट : उपर्युक्त तमाम मौजूअ अहादीस इमाम शौकानी रह० की किताब अल फ़वाइद, अल मजमूआ, फ़िल अहादीस, अल मौजूअ से नकल की गई हैं। विस्तार के लिए यह किताब देखी जा सकती है।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَأَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ عَلٰى أَفْضَلِ الْبَرِيَّاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

"क़यामत का ब्यान"

लेखक

मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशक

अल किताब इन्टर नेशनल

जामिया नगर नई दिल्ली

"इस्लामी जीवन प्रणाली"

(اسلامی طرز زندگی)

जीवन के समस्त विभागों से सम्बंधित क़ुरआन व सुन्नत की शिक्षायें

लेखक

शेख़ अबू बकर जाबिर

अल जज़ाईरी हिफ़ज़ुल्लाह

प्रकाशक

अल किताब इन्टर नेशनल

जामिया नगर नई दिल्ली

पेज संख्या 912 मूल्य 300/-

Rozon Ke Masail



Al-Kitab International الکتاب انٹرنیشنل
Jamia Nagar, New Delhi-25
Ph.: 26986973 M. 9312508762